ps Oct-Dec'13-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 12/17/2013 12:5 PM Page 1

ps Oct-Dec'13-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 12/17/2013 12:51 PM Page 2

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है।

डा. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है। संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हेतु संघ की पहल पर प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉग एजूकेशन) की स्थापना हुई। संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता हैं, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशन एसोसिएशन्स', एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एण्ड एडल्ट एजूकेशन', 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' तथा 'इण्टरनेशनल रीडिंग ऐसोसिएशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002

दूरभाषः 011–23379282, 23378436, 23379306

फैक्सः 011–23378206, ई–मेलः directoriaea@gmail.com

website: www.iaea-india.org; www.iiale.org

प्रौढ़ शिक्षा

अक्तूबर–दिसंबर 2013
वर्ष 57 अंक 7

सम्पादक मण्डल

प्रो. भवानीशंकर गर्ग (अध्यक्ष)
ए.एच.खान
डा.एल.राजा
डा. मदन सिंह
इन्दिरा पुरोहित
दुर्लभ चेतिया
मृणाल पंत
के.आर.सुशीले गौडा

सम्पादक
डा. मदन सिंह

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय 2

प्रशिक्षार्थी शिक्षकों के लिए जीवन कौशल की आवश्यकता 3
– चित्ररेखा

महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने में युवाओं की भूमिका 9
– राजमती वर्मा

कार्यात्मक साक्षरता की गृह प्रबन्धन में उपयोगिता 14
– रीना चौरसिया
– एस. एस. रावत

बुन्देलखण्ड में प्रौढ़ शिक्षा द्वारा वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक चेतना का समाजशास्त्रीय अध्ययन 20
– इन्दिरा श्रीवास्तव

मूल्यः 100 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

सम्पादकीय

लोकतंत्र में बढ़ता विश्वास

चुनावों पर चर्चा के लिए आयोजित किसी भी गोष्ठी में शामिल होने पर पता चलता है कि ऐसा कोई भी विकार शेष नही है जिससे हमारी चुनाव प्रक्रिया दूषित नहीं दिखती। हर प्रकार के सवाल खड़े किये जाते हैं। किसी के नजर में नेता गलत हैं तो किसी के नजर में मतदाता उदासीन। कोई चुनाव प्रक्रिया में खामियां ढूंढता है तो कोई इसे संचालित करने वालों की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। पर इस बार माहौल बदला–बदला सा नजर आया। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम में विधानसभा के लिए हुए चुनावों में तमाम सवाल तो उठाये गये पर शायद ही किसी ने यह सवाल उठाया कि संभ्रांत वर्ग, युवाओं और महिलाओं ने चुनाव में उदासीनता दिखायी है। इस बार के चुनावों में लोगों ने मतदान को अपने सशक्तीकरण के मूलभूत अधिकार के रूप में उल्लेखनीय स्तर तक प्रयोग किया। पहले अक्सर ऐसा होता था कि एक वर्ग के लोग स्वयं को सक्षम मानते हुए चुनाव प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेते थे जबकि अधिकांश युवा यह मत व्यक्त करते पाये जाते थे कि चुनावों में मतदान करने से कुछ बदल तो सकता नहीं ऐसे में हम अपना समय व्यर्थ क्यों गवायें।

इस बार ऐसा नहीं हुआ। पांच राज्यों में हुए मतदान के प्रतिशत से यह स्वाभाविक ही स्पष्ट हो जाता है। सन् 2008 में छत्तीसगढ़ में 71.06 प्रतिशत मतदान हुआ था जबकि इस बार यह प्रतिशत बढ़कर 77.06 हो गया। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में 2008 में मतदान का प्रतिशत 69.78 था जो अब 72.52 है, राजस्थान में यह 67.15 था जो बढ़कर 75.2 प्रतिशत हो गया है।

यदि दिल्ली की बात करें तो यहां चुनाव महज चुनाव न होकर चुनाव उत्सव में बदला नजर आया। चुनाव से मात्र 10 दिन पहले एक पत्रकार मित्र ने जानना चाहा था कि क्या सभी पार्टियों को प्रत्येक बूथ पर एजेंट तैनात करना होता है? यदि करना होता है तो न्यूनतम कितने एजेंट चाहिए होते हैं? वे क्या कार्य करते हैं? इतनी बड़ी संख्या में चुनावी एजेंट कोई नवोदित पार्टी कहां से लाएगी? क्या चुनाव प्रक्रिया को ऐसा रूप प्रदान नहीं किया जा सकता जिसमें एजेंटों की जरूरत ही न पड़े जैसे की शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल क्लासरूम की कल्पना कहीं–कहीं साकार होती दिख रही है। पर हालात तेजी से बदलते गये। इस चुनाव में युवाओं ने अपनी हिचक तोड़ दी। फिर क्या था। कनाटप्लेस हो या फिर बल्लीमारन, चुनाव प्रचार मात्र चुनाव प्रचार न होकर ट्रेड फेयर या बुक फेयर में शिरकत करने सी बात हो गयी। महज भाषणों का स्थान नुक्कड़ नाटकों ने लिया। ऐसा लगा जैसे चुनाव किसी नेता, उसके सगे संबंधी और उन्हीं से जुड़े चंद निजी स्वार्थ साधने की लालसा में जुटे लोगों की बात नहीं रही। यह एक बार फिर से आम जनता की बात बनती दिखी। हजारों की संख्या में युवा प्रोफेशनल अपने मित्रों, सगे संबंधियों और जाने–अनजाने टकरा जाने वाले लोगों को एकल और सामूहिक दोनों प्रकार के संवादों में भ्रष्टाचार के विरूद्ध तथा गुड गवरनेन्स के लिए मतदान करने हेतु प्रेरित करते नजर आये। पहली बार चुनाव आयोग से वोट डालने के लिए मोबाइल पर व्यक्तिगत रूप से भेजा गया मैसेज मिला तो दोस्तों से 'सेलिब्रेट इलेक्शन–यूज योर राइट' का मैसेज प्राप्त हुआ। ऐसा लगने लगा जैसे येन–केन–प्रकारेण चुनाव से निर्णय मनचाहे पक्ष में करा लेने का दावा करने वालों का समीकरण बिगड़ सकता है, जनमानस की जीत हो सकती है और आम जन के सशक्तीकरण का सपना साकार हो सकता है। दिल्ली पर से 'राजनैतिक उदासीनता' का वर्षों से लगा तमगा अचानक ही हटता नजर आया। सन् 1993 में दिल्ली में पहली बार विधान सभा के लिए हुए चुनाव से लेकर अब तक इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने कभी वोट नहीं दिये। यहां औसत वोट प्रतिशत 65.89 दर्ज किया गया।

भारत जैसे प्राचीन, विशाल एवं लोकतंत्र में गहन विश्वास रखने वाले देश में चुनाव न जाने कितनी बार होंगे और उसमें न जाने किसकी–किसकी जीत होगी। पर इस बार के मतदान से यह तो स्पष्ट दिखता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने की दिशा में नहीं बल्कि जन–जन के सघन सशक्तीकरण की दिशा में उन्नमुख हो रही हैं। जीते चाहे जो भी, यह चुनाव सभी दलों को जनहित में बेहतर कार्य करने की ओर अवश्य प्रेरित करेगा क्योंकि स्वयं को चुनावी रणक्षेत्र से बाहर मानने वाला युवा अब सजग हो चुनावी प्रक्रिया को बदलाव का हथियार मानने लगा है।

–बी.संजय

ps Oct-Dec'13-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 12/17/2013 12:5 PM Page 5

प्रशिक्षार्थी शिक्षकों के लिए जीवन कौशल की आवश्यकता

— चित्ररेखा

जीवन कौशल

''जीवन कौशल ऐसे मनोसामाजिक एवं अन्तः वैयक्तिक कौशल होते हैं जो मनुष्य को स्वस्थ एवं लाभप्रद जीवन जीने में सहायता करते हैं तथा उसे अवांछनीय व्यवहारों को अपनाने से रोकते हैं।''

जीवन कौशल शब्द जीवन और कौशल इन दो शब्दों से मिलकर बना है। जीवन का अर्थ है जिन्दगी और कौशल का अर्थ है योग्यताएँ अर्थात् ऐसी योग्यताएँ जो जीवन को लाभदायक ढ़ग से जीने में मददगार साबित हो। हम अपने व्यावहारिक जीवन में प्रतिदिन, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए परिस्थितियों के अनुरूप, अलग–अलग प्रकार के जीवन कौशल का उपयोग बाल्यावस्था से लेकर जीवन के अन्तिम क्षणों तक करते हैं ताकि हम एक बेहतरीन और सफल जीवन व्यतीत कर सकें। जीवन कौशल किसी भी व्यक्ति में दो प्रकार से आता हैं एक स्वाभाविक ढ़ग से व दूसरा अर्जित करके। स्वाभाविक जीवन कौशल मनुष्य में जन्मजात होते हैं जैसे गुणों को पैतृक रूप से ग्रहण करना। इसके विपरीत अर्जित जीवन कौशल मनुष्य अपने अनुभव, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों से ग्रहण करता है और अपने आप को वैसा ही बनाने की कोशिश करता है। अर्जित जीवन कौशल औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही रूप से ग्रहण किए जा सकते

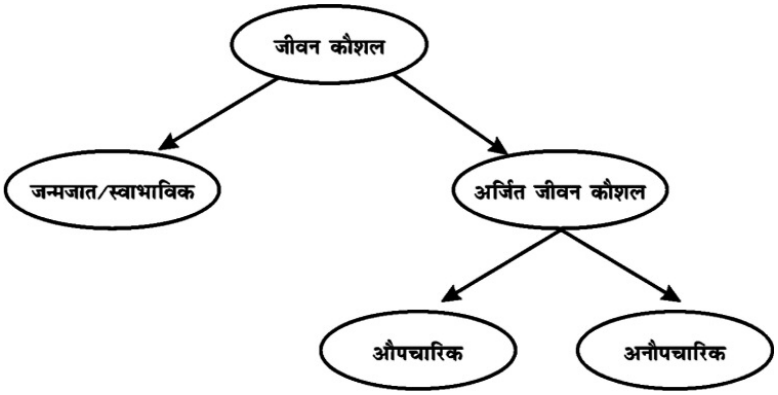

हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीवन कौशल को परिभाषित करते हुए कहा है कि ''जीवन कौशल एक ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से व्यवहार में अनुकूलतम एवं सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए मनुष्य अपने दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के योग्य बनता है।''

यूनीसेफ ने जीवन कौशलों को व्यवहार परिवर्तन/व्यवहार विकास दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित

किया है ताकि ज्ञान, अभिवृत्ति एवं कौशल जैसे तीन क्षेत्रों के संतुलन को कायम रखा जा सके। अतः जीवन कौशल अन्तःवैयक्तिक कौशलों का एक ऐसा समूह है जो लोगों को सुझाए गए निर्णय लेने, विचारों को प्रभावी ढंग से आदान–प्रदान करने, विपरीत परिस्थितियों से जूझने एवं आत्मप्रबंधन कौशलों को विकसित करने में उनकी सहायता करता है जिससे व्यक्ति स्वस्थ एवं लाभप्रद जीवन जी सकने में समर्थ हो पाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे 10 मूल कौशलों की पहचान की है जिनकी आवश्यकता हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए पड़ती है। इन 10 मूल कौशलों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तीन घटकों में वर्गीकृत किया है।

मूल जीवन कौशल

तार्किक चिंतन कौशल /निर्णयन कौशल	अन्तःवैयक्तिक /संप्रेषण कौशल	जूझने एवं स्वप्रबंधन संबंधी कौशल
1. निर्णयन – ठोस एवं सही निर्णय लेन की योग्यता	4. प्रभावी संप्रेषण – सुनने व ध्यानपूर्वक सुनने में अन्तर करना, भावनाओं की अभिव्यक्ति की योग्यता तथा, प्रतिपुष्टि देना	8. तनाव प्रबंधन – तनाव देने वाले स्त्रोतों की पहचान करना
2. तार्किक चिंतन – विश्लेषण योग्यता	5. समझौते की बातचीत – विपरीत परिस्थितियों में समायोजित होना	9. भावनाओं से जूझना – संवेदनाओं पर नियंत्रण।
3. समस्या निवारण – समस्या समाधन के लिए श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव	6. तद्नुभूति – दूसरे व्यक्तियों की परिस्थिति में स्वयं को रखकर सोचना	10. आत्म मूल्यांकन – स्वयं के गुण–दोषों की पहचान करना।
	7. अन्तः वैयक्तिक कौशल – सभी के साथ सामंजस्य स्थापित करना	

जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता

सामान्य रूप से देखा जाय तो जीवन कौशल का उपयोग हम अपने जीवन में प्रतिदिन करते हैं जैसे किन्हीं दो वस्तुओं में चुनाव करते समय हम उस वस्तु से जुड़े विभिन्न पहलुओं यथा वस्तु की कीमत, वस्तु की जरूरत, आवश्यकता की पूर्ति में वस्तु की सार्थकता का स्तर आदि पर ध्यान देते हैं। ये सभी पहलू हमारे निर्णय कौशल, तर्क कौशल, समस्या निवारण की कला से संबंध रखते हैं। परन्तु उस समय हमें विशेष रूप से इन कौशलों की जानकारी नहीं होती है। इस प्रकार कई बार जीवन कौशल का उपयोग करते समय हमें यह ज्ञात नहीं होता कि हम किस विशेष जीवन कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या उपयोग किया गया जीवन कौशल, परिस्थिति एवं समयानुसार सही था? क्या हमारे द्वारा लिए गए अधिकतर निर्णय सही एवं समयानुसार थे? आदि। कई बार हम जीवन कौशल का सही इस्तेमाल करने में अपने आप को असक्षम पाते हैं। कई बार

हमारे द्वारा लिये गए निर्णय सही नहीं होते और हमें अपने लिए गए निर्णयों पर पश्चाताप् होता है। हम अपनी समस्याओं का समाधन ढूँढने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। हमारे अन्दर जागरूकता एवं स्वमूल्यांकन का अभाव होता है और तब हमें किसी विशेष प्रशिक्षण, शिक्षा एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस होती है। जीवन कौशल का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में पड़ता है। साथ ही साथ इसका प्रभाव उन सभी व्यक्तियों पर भी पड़ता है जो हमसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए होते हैं।

शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम विभिन्न जीवन कौशलों में प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक निखार एवं कुशलता ला सकते हैं तथा एक प्रभावी व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। ज्ञात तथ्यों के अनुसार जीवन कौशल शिक्षा की शुरूआत सर्वप्रथम 1979 में बोस्टन में की गई थी।

शिक्षा पद्धति के मुख्य घटकों में अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यचर्या का समावेश होता है। इनमें से सबसे कठिन व निर्णायक भूमिका अध्यापक की होती है। किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम की सफलता एक प्रशिक्षित एवं अनुभवी अध्यापक के उपर निर्भर करती है। कम उम्र के विद्यार्थियों की देख–रेख करने/उनकी देखभाल, उनकी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं समस्याओं को समझने और उन्हें समाज के उपयोगी नागरिक बनाने में तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विद्यार्थियों के ज्ञान, अभिवृत्ति एवं उनकी क्षमताओं में आवश्यकतानुसार परिवर्तन लाने की मुख्य रूप से जिम्मेदारी अध्यापक की ही होती है। इसलिए अध्यापक विद्यार्थियों के अन्दर उन जीवन कौशलों का विकास करने का प्रयास करता है जो उन्हें बेहतरीन जीवन जीने में समर्थ बना सकें। परन्तु यह तभी संभव है जब अध्यापक या अध्यापिका को स्वयं जीवन कौशल के अर्थ एवं महत्व का समूचित ज्ञान हो और वह प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की समस्याओं चाहे वे उनके स्वयं के जीवन से संबंधित हो या फिर विद्यार्थियों के जीवन एवं पाठ्यक्रम आदि से संबंधित हों, से निपटने के लिए जीवन कौशलों का प्रयोग कुशलता पूर्वक करता हो।

जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता का प्रशिक्षार्थी शिक्षकों के लिए विशेष रूप से महत्व है क्योंकि प्रशिक्षार्थी शिक्षक अपने अध्यापन क्रिया की प्रारम्भिक अवस्था से गुजर रहा होता है। इस अवस्था में वह न तो पूर्णतः एक परिपक्व अनुभवी अध्यापक ही होता है और न ही पूर्णतः परिपक्व विद्यार्थी। उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं होता। कई बार वे विद्यार्थियों तथा स्वयं की समस्याओं का समाधन ढूँढने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं और जाने–अनजाने में वे स्वयं विद्यार्थियों की कुछ समस्याओं का कारण बन जाते हैं। निर्णय लेते समय वे अपने आप को तनावग्रस्त महसूस करते हैं। इस संबंध में एरिक्सन का मत है कि अधिकतर प्रशिक्षार्थी शिक्षक अपनी युवा अवस्था में होते हैं तथा इस समय वे अपनी निजी पहचान बनाने की चाहत रखते हैं। यदि इस समय उन्हें सही मार्गदर्शन या प्रशिक्षण न दिया जाए तो वे तनावग्रस्त हो सकते हैं। जीवन कौशल शिक्षा जीवन को तनाव देने वाले स्त्रोतों की पहचान करने में सहायक सिद्ध होती है तथा प्रशिक्षार्थियों को स्वयं की समस्याओं को निपटाने में सहायता प्रदान करती है।

निम्नलिखित बिन्दु प्रशिक्षार्थी शिक्षकों के लिए जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को उजागर करते हैं:–

1. जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षार्थियों को उचित व सही निर्णय लेने के योग्य बनाती है।

2. समस्याओं के बारे में सोचने व समस्या का समाधन करने में बहुत से विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने की योग्यता विकसित करती है।
3. वस्तुपरक तरीके से सूचना और अपने अनुभवों को विश्लेषित करने की क्षमता का विकास करने के लिए तार्किक चिंतन व स्वमूल्यांकन करने की योग्यता का विकास करती है।
4. एक सफल अध्यापक के रूप में विभिन्न समस्याओं जैसे घर, समुदाय, विद्यालय आदि में अलग–अलग भूमिकाओं को कुशलता के साथ निभाने में सहायता करती है।
5. स्वस्थ अन्तः क्रिया और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने में सहायता करती है।
6. स्वस्थ जीवन शैली एवं स्वस्थ व्यवहार को विकसित करने के लिए मनोसामाजिक क्षमता एवं योग्यता का विकास करने में सहायक होती है।
7. प्रभावी संप्रेषण कौशल का विकास करने में सहायता करती है।
8. विपरीत परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता का विकास करने में सहायक होती है।
9. तद्नुभूति अर्थात् स्वयं को दूसरे की परिस्थितियों एवं स्थान पर रखकर, विश्लेषण करने की योग्यता का विकास करती है।
10. अन्तः वैयक्तिक कौशल अर्थात् मिल–जुल कर, सहयोग के साथ काम करने की भावना का विकास करती है।

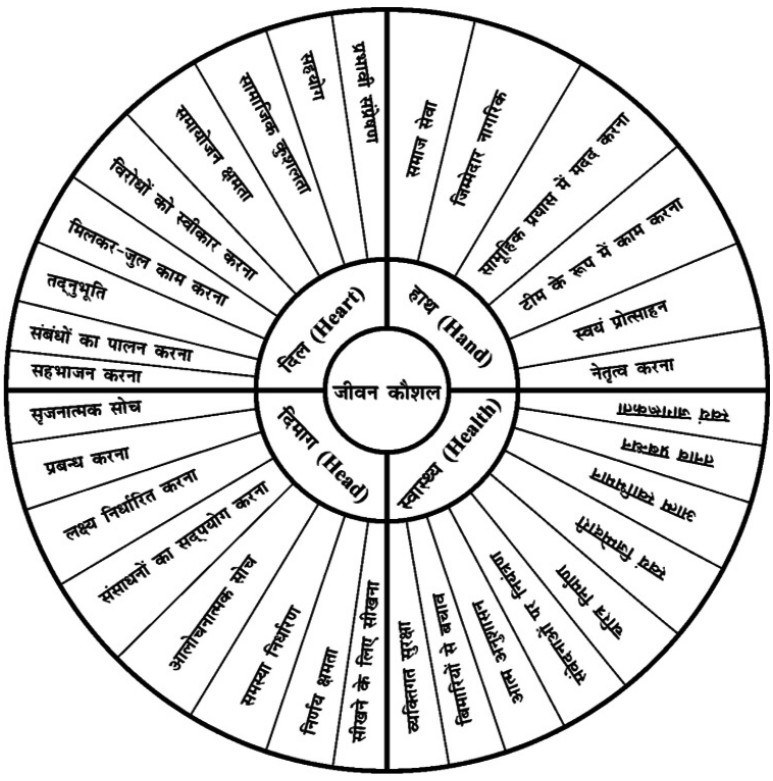

11. विभिन्न प्रकार के मानसिक तनावों जैसे संवेदनाओं पर नियंत्राण करने में सहायक होती है।
12. एक अनुभवी मार्गदशक, परिपक्व अध्यापक बनने में सहायता करती है।
13. स्वजागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने व बनाए रखने में सहायता करती है।
14. जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षार्थी के अन्दर नेतृत्व, उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, नैतिकता, निर्देशन आदि का विकास करती है।
15. भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें तैयार करती है।
16. 4 H अर्थात हैड, हार्ट, हैंड और हेल्थ के विकास में सहायक होती है।

जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने की प्रभावी शिक्षा पद्धति

जीवन कौशल असरदार एवं प्रभावी हो इसके लिए एक उचित परिवेश में शिक्षा देना बेहद जरूरी है। कोहलबर्ग, 1976 एल्बर्ट बन्दूरा 1977 के अधिगम सिद्धान्तों के अनुसार व्यवहार को सीखा जाता है और यदि हम चाहते हैं कि व्यवहार ऐसा ही बना रहे तो इसका लगातार अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए जीवन कौशल विकास का महत्वपूर्ण पहलू व्यवहार का अभ्यास करना है। व्यवहार का अभ्यास कराने के लिए शिक्षक प्रशिक्षक उचित परिवेश का निर्माण कर विभिन्न विधियों का सहारा ले सकते हैं।

1. **भूमिका निर्वाह** — भूमिका निर्वाह ऐसा कार्यकलाप है जो खेल के माध्यम से वास्तविक जीवन की स्थितियों का वर्णन करता है। भूमिका निर्वाह प्रशिक्षार्थियों के जीवन कौशल को व्यवहारिक रूप से समझने का अवसर प्रदान करती है। भूमिका निर्वाह के माध्यम से वे अंतःवैयक्तिक कौशल, संप्रेषण कौशल और किसी बात को दावे से कहने के कौशल को तेजी से सीखते हैं।
2. **समूह चर्चा** — समूह चर्चा एक ऐसी शैक्षिक गतिविधि है जो प्रशिक्षार्थियों को किसी मुद्दे पर बातचीत करने का अवसर प्रदान करती है। इसके माध्यम से प्रशिक्षार्थियों में गंभीर चिंतन, संप्रेषण कौशल, तार्किक विश्लेषण एवं तद्नुभूति कौशल का विकास किया जा सकता है।
3. **वाद–विवाद** — वाद–विवाद प्रशिक्षार्थियों के लिए, सीखने का एक अन्तःक्रियात्मक माध्यम है इसके द्वारा प्रशिक्षार्थियों को समस्या के बारे में सोचने विचारने का मौका मिलता है तथा उनके अन्दर संप्रेषण कौशल के साथ–साथ स्वयं मूल्यांकन, आत्मबोध, तार्किक चिंतन एवं विश्लेषण योग्यता का विकास होता है।
4. **केस अध्ययन** — केस अध्ययन किसी विशिष्ट विषय पर ध्यान केन्द्रित करने का एक प्रभावी साधन है और इससे प्रशिक्षार्थियों को किसी समस्या के सभी पहलुओं को समझने का मौका भी मिलता है जिससे उसे दूसरों की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनने में सहायता मिलती है। यह गतिविधि अन्तवैयक्तिक कौशलों, तद्नुभूति, आत्मबोध एवं तार्किक चिंतन कौशलों को विकसित करने में सहायक होती है।
5. **प्रश्न जाँच** — प्रश्न जाँच के माध्यम से प्रशिक्षार्थी संबंधित मुद्दों के विभिन्न पहलुओं के निहितार्थ को समझने और चयनित विषय पर विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्र करने के योग्य बनते हैं। यह गतिविधि श्रोताओं के लिए प्रेरणात्मक परिवेश सृजित करती है जिसमें प्रशिक्षार्थी अपने योग्यताओं के अनुरूप सीखता है। तार्किक

चिन्तन एवं संप्रेषण कौशल के विकास में इससे सहायता मिलती है।

6. **समस्या समाधन विधि :** समस्या समाधान एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से प्रशिक्षार्थियों के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएँ रखकर उन्हें उनका समाधान ढूँढने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह विधि प्रशिक्षार्थियों की विश्लेषण क्षमता, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, संवेदनाओं पर नियंत्रण, तद्नुभूति एवं संप्रेषण कौशल का विकास करने में सहायक होती है।

7. **ब्रेन स्टॉर्मिंग (दिमाग में विचारों का तुफान)** : ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के माध्यम से प्रशिक्षार्थी शिक्षक कम समय के अन्दर किसी विषय से जुड़े विभिन्न पहलूओं पर या विषय विशेष पर बड़ी शीध्रता से अपने विचार अर्थात प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं । विषय को लेकर प्रशिक्षार्थियों के मस्तिष्क में विचारों की उथल पुथल चलती रहती है जो उनकी सोचने की शक्ति, कल्पना शक्ति, विचाराभिव्यक्ति कौशल, तद्नुभूति, निर्णय कौशल, संप्रेषण कौशल, स्वमूल्यांकन एवं अन्तः व्यैक्तिक कौशल का विकास करती है।

8 **पाठ्य सहगामी क्रियाएँ**: पाठ्य सहगामी क्रियाएँ वे क्रियाएँ होती हैं जो पाठ्यक्रम के साथ–साथ बनायी जाती है जिसका उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों में निर्णय कौशल, संप्रेषण कौशल, तार्किक चिंतन, तद्नुभूति, समस्या निवारण कौशल आदि का विकास किया जा सकता है।

जीवन कौशल सिखाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षक समयानुसार, परिस्थितियों के अनुरुप एवं प्रशिक्षार्थियों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सभी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं।

निष्कर्ष

जीवन कौशल शिक्षा के महत्व को देखते हुए इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जीवन कौशल शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। परन्तु प्रशिक्षार्थी अध्यापकों के लिए इसका विशेष महत्व है क्योंकि उनके हाथ में अपने भविष्य के साथ–साथ विद्यार्थियों का भविष्य भी होता है। जीवन कौशल शिक्षा उन्हें एक परिपक्व अनुभवी अध्यापक बनने के साथ एक अच्छा मार्गदर्शक, सलाहकार एवं निर्देशक बनने में सहायता करती है। जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से वह बेहतर और सकारात्मक जीवन जीना सीखता है और सिखाता है। इसलिए इन्हें जीवन भर कायम रखना जरूरी है और जीवन भर कायम रखने के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि इन कौशलों का निरंतर अभ्यास किया जाय और यह तभी संभव है जब जीवन कौशल को पाठयचर्या में शामिल कर इसे उसका अभिन्न अंग बनाया जाये।

संदर्भ

1. Hand Book for Teachers YUVA, Delhi, State AIDS Control Society.
2. Introduction to Life Skills http://worldnet.scout.org/scoutpan/en/a/a/
3. Life Skill Development; Co-Curricular Activities: A Module, NCERT, New Delhi.
4. NACO 2005 Life Skills Modules Adolescent Edu Programme.
5. WHO, Life Skills Education: Planning for Research Geneva WHO 1996. 72 p.
6. http://www.unicef.org/lifeskills/
7. http://www.unicef.org/teachers/teachers/index.cfml
8. www.21stcenturyskills.org/index.php?

ps Oct-Dec'13-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 12/17/2013 12:5 PM Page 11

महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने में युवाओं की भूमिका

–राजमती वर्मा

भारतीय नारी सृष्टि के प्रारम्भ से ही अनन्त गुणों की आगार रही है। पृथ्वी की सी क्षमा, सूर्य जैसा तेज, समुद्र की सी गम्भीरता, चन्द्रमा की सी शीतलता, पर्वतों की सी मानसिक उच्चता, हमें एक साथ नारी के हृदय में दृष्टिगोचर होती है। नारियों को दया, करुणा, ममता, वात्सल्य और प्रेम की पवित्र मूर्ति के रूप में देखा जाता रहा है। परन्तु आवश्यकता पड़नें पर यही शालीन नारी प्रचण्ड–चण्डी के रूप में अविहित होती है। वह मनुष्य जीवन की जन्मदात्री है, इसके बिना परिवार एवं समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह माता बनकर हमारी रक्षा करती है, मित्र और गुरु बनकर हमें शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करती है। बाल्यावस्था से लेकर मृत्युपर्यन्त तक वह हमारी संरक्षिका बनी रहती है। नारी का त्याग और बलिदान, भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है, इसीलिये इसे नारी शब्द से सम्बोधित किया गया। ना + अरि अर्थात जिसका कोई शत्रु न हो। नारी के प्रति जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा–सुमन अर्पित करते हुए लिखा है कि ''नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग–पग तल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।''

समाज में नारी की स्थिति – प्राचीन भारत में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। वे केवल सन्तान की जन्मदात्री एवं भोजन की प्रबन्धकारिणी के रूप में ही प्रतिष्ठित नहीं थी, अपितु पुरुषों के समान ही उन्हें सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक कृत्यों में भाग लेने का अधिकार था। याज्ञवल्क्य की धर्म पत्नी गार्गी नें ''आध्यात्मिक धन के समक्ष सांसारिक धन तुच्छ है'' सिद्ध करके समाज में अपना आदरणीय स्थान प्राप्त किया था। इस काल में गृहस्थाश्रम का सम्पूर्ण दायित्व नारी के कन्धों पर आधारित था। ये प्रत्येक क्षेत्र में माता–पिता, पति, पुत्र, सास–श्वसुर इत्यादि के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर चलती थी। परन्तु धीरे–धीरे समय–चक्र ने, इनकी नैसर्गिक स्वतंत्रता में विराम लगाना आरम्भ कर दिया। उनका पुराना सेवा भाव उन्हीं के लिए घातक बनता गया।

उसने प्रेमवश अपने को दूसरे के हाथ में समर्पित किया था, परंतु पुरुषों ने निदर्यता से उन्हें धीरे–धीरे बन्धनों में जकड़ना आरम्भ कर दिया। स्त्रियों के प्रति तिरस्कार और उपेक्षा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी। वही नारी जिसने मण्डन मिश्र की अर्धांगिनी की रूप में अपने पति की पराजय से क्षुब्ध होकर शंकराचार्य जी से ''काम शास्त्रों'' के तत्वों पर शास्त्रार्थ किया था। शनैः–शनैः ज्ञात और अज्ञात, चाहे और अनचाहे कारणों से घरों की चहारदीवारी में कैद होकर अविद्या और अज्ञानता के सेज शैय्या पर घुट–घुट कर जीने पर मजबूर होती गयी। छोटी–छोटी सुकुमार बालिकाओं को पत्नी का स्वरूप दिया जाने लगा। रणक्षेत्र में पति के मारे जाने पर वह आजीवन विधवा रूपी तिरस्कृत जीवन जीने को मजबूर होती गयी। धीरे–धीरे स्त्रियों का जीवन पुरुषों पर पूर्णतः निर्भर होता गया।

हड़प्पाकालीन अर्द्ध–नारीश्वर की कल्पना का स्थान पुरुष प्रधान समाज लेता गया। पर्दा प्रथा चल पड़ा और कन्या पक्ष को हीन समझा जाने लगा। विधवाओं का तिरस्कार, सती प्रथा, बेमेल विवाह, उच्च शिक्षा एवं उत्तराधिकार से वंचना तथा धार्मिक परतंत्रता इत्यादि के बंदिशों के द्वारा उनकी क्षमताओं, भावनाओं एवं योग्यताओं को कालकोठरी में कैद किया जाने लगा। हमारे पुरुषोपार्जित द्रव्य एवं सभ्यता की स्वामिनी वाला भारतीय समाज, पुरुष प्रधान समाज में परिणत होने लगा, जिसका मूल कारण बना महिलाओं का अत्यधिक सरल और सीधा स्वभाव।

कहा भी गया है कि–

''ना त्यन्तं सरलैस्त्रियांगत्वापश्य वनस्थलीम्।

छिद्यन्तें सरलास्तत्रकुब्जास्तिष्ठान्ते पादपाः।

अर्थात स्त्रियों को अत्यधिक सीधे स्वभाव का नहीं बनना चाहिए, वन में जाकर देखो, वहां सीधे वन काट डाले जाते हैं और टेढ़े–मेढ़े वृक्ष खड़े रहते हैं, उन्हे कोई नहीं काटता।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे राजनीतिज्ञों, समाज सुधारकों एवं अन्य चैतन्य धार्मिक पुरुषों के प्रयासों से अशक्त बना दी गयी महिलाओं को भारतीय संविधान में समानता का अधिकार प्रदान कर सशक्ता बनाने का प्रबन्ध किया गया, जिससे वे अपनी परम्परागत दब्बू प्रकृति के आवरण से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बन सकें। इन प्रयासों के लगभग छठे दशक बाद भी उनकी वेदना एवं समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। जिसे वर्तमान में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के रूप में देखा जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा महिला एवं बाल विकास पर जारी एक प्रतिवेदन (2008) के अनुसार, भारत में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला का बलात्कार, 51 मिनट में एक छेड़–छाड़, 26 मिनट में एक बदसलूकी तथा 102 मिनट में दहेज के कारण हत्या होती है। इन्ही कारणों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 13 सितम्बर 2005 को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया परंतु इसके बाद भी हमारे समाज की संकीर्ण मानसिक स्थिति में बदलाव उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है, जितनी तेजी से होना चाहिए थी। हमारा परिवार एवं समाज आज भी पुरुष प्रधान समाज का वर्चस्व बनाये रखने का हर सम्भव प्रयास करता रहता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष घृणित कार्यों को करने एवं स्वीकार करने जैसे– बाल विवाह को प्रोत्साहन, दहेज को प्रोत्साहन, नारी को देह व्यापार में धकेलना, छेड़–छाड़, बलात्कार, विधवाओं के प्रति असहानुभूति, बेमेल विवाह को स्वीकार करना, महिलाओं के ऊपर हमला इत्यादि घटनाएं बलवती होती जा रहीं हैं। घर से बाहर कदम बढ़ाते ही किसी न किसी रूप में महिलाएं शोषित व प्रताणित हो रहीं हैं, जो उनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार न होने का द्योतक है।

ps Oct-Dec'13-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 12/17/2013 12:51 PM Page 13

महिलाओं के प्रति हिंसा के प्रकार

पारिवारिक हिंसा	सामाजिक हिंसा	धार्मिक हिंसा	आर्थिक हिंसा	सांस्कृतिक हिंसा	राजनीतिक हिंसा
• कन्या भ्रूण हत्या • बहू का शोषण व तिरस्कार • शिक्षा के प्रति लिंगीय भेदभाव • पितृसत्तात्मक वर्चस्वता • निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अभाव	• बाल विवाह • बेमेल विवाह • दहेज प्रथा • सती प्रथा • विधवा पुनर्विवाह का विरोध • हिंसा के बाद लिंगीय पक्षपात की भावना • एक पक्षीय आकर्षण में तेजाब या धारदार हथियार से हमला	• धार्मिक कार्यों में प्रतिबंधित सहभागिता	• क्रय करने की स्वतंत्रता का अभाव • कार्य करने की स्वतंत्रता का अभाव • कामकाजी महिलाओं की पारिश्रमिक व्यय का अभाव • लगातार शारीरिक उत्तरदायित्व की प्रबलता	• पर्दा प्रथा एवं पारंपरिक वेश–भूषा की बाध्यता • विशेष शरीरजन्य एवं प्राकृतिक कारणों से सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यों का निषेध	• पुरुषों की तुलना में सीमित अवसर • समान कार्यों में असमान पारिश्रमिक दरें • विभागों, आयोगों एवं विधायी पदों पर समान अवसर का अभाव

युवाओं की भूमिकाः युवा शब्द ही ऐसा प्रत्यय है जो कई गुणों का बोध कराता है। किसी ने कहा भी है कि यदि आप सचमुच एक पुरुष की श्रेणी में परिणित होना चाहते हैं तो अपनी आंखों में चमक, मन में उत्साह और भुजाओं में पुरुषार्थ का ओज भरिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि मुझे ऐसे 100 कर्मठ युवक मिल जाए तो मैं पूरे भारत में क्रांति ला दूँ। आज हमें ऐसे समर्पित युवाओं की आवश्यकता है जो अपने बल पर परिमार्जन व परिवर्तन लाने के प्रति दृढ़ संकल्प हों। महारथी अर्जुन के विजयी होने के पीछे उनका यह दृढ़ संकल्प था कि ''न दैन्यं न पलायनं'' अर्थात न तो मैं कभी अपने को असहाय अनुभव करूंगा और न कभी जीवन की विषमताओं एवं विसंगतियों से पलायन ही करूंगा। आज भारत के आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा 35 साल से कम उम्र के युवाओं की है। 67.5 करोड़ वयस्कों में से लगभग आधे 25 वर्ष के आसपास के हैं और इन युवाओं में अपार संभावनाएं व्याप्त हैं। किसी भी देश की समृद्धि एवं प्रगति वहां के सच्चरित्रवान युवाओं पर

निर्भर करता है। हमारे असंवेदनशील होते परिवार एवं समाज में युवा ही संवेदनशीलता का परिचय दे सकते हैं, जो निम्न रूपों में उजागर हो सकता है–

1. अधिकांश घरों में दहेज प्रताड़ना की घटनाएं घटित होती रहती हैं। सास, ननद, पति इत्यादि सभी एक साथ बहू के खिलाफ षडयंत्र रचते रहते हैं। ऐसे में एक युवा सदस्य का दायित्व बनता है कि वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर परिवार के सदस्यों में अपने ओज का प्रस्फुटन करे। साथ ही वह दहेज रहित विवाह कर परिवार के सदस्यों को प्रत्यक्ष अनुभव करा सकता है कि जो व्यक्ति स्वयं प्रयास से कुछ अर्जित नहीं कर सकता, उसे दूसरे के दिये धन पर इठलाने का कोई हक नहीं है।
2. कन्या भ्रूण हत्या समाज की समस्या बनी हुई है। ऐसे में एक युवा अपने परिवार के सदस्यों द्वारा लड़का–लड़की में किए जा रहे भेदभाव के प्रति, बदलाव ला सकता है। वह लड़कियों के लिए खुल रहे नित नये कार्य करने के अवसरों तथा सफल महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत कर उनके कुत्सित विचारों में परिवर्तन ला सकता है।
3. हम 21वीं सदी में भले ही प्रवेश कर चूके हैं, परंतु आज भी हमारे देश में बाल विवाह बहुतायत से हो रहे हैं। ऐसे में युवा अशिक्षित, गरीब, असहाय एवं रूढ़ियों में कैद लोगों को इससे होने वाले हानि के बारे में जागरूक करने का बीड़ा उठा सकते हैं। साथ ही वे कन्या विवाह योजना द्वारा प्राप्त धनराशि के बारे में भी उन्हें बतला सकते हैं। वे लड़की को किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रति जागरूक कर, उसे स्वावलंबी बनाने में सहयोग दे सकते हैं।
4. विधवा विवाह को प्रोत्साहित कर युवा समाज को एक दिशा प्रदान कर सकते हैं। विधवायें आज भी समाज के तिरस्कार का दंश झेल रहीं हैं। अतः युवा उनको अपना हक, प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रो0 डी0 के0 कर्वे इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। विधुर होते हुए भी, वे एक अविवाहिता से शादी कर सकते थे पर उन्होंने एक विधवा से शादी की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी एक विधवा से विवाह कर समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया।
5. महिलाओं के प्रति छेड़खानी व बलात्कार की घटनायें समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। पहले अधिकांशतः अधेड़ उम्र के लोगों को इसका जिम्मेदार माना जाता था, परंतु धीरे–धीरे बालकों, प्रौढ़ों एवं वृद्धों द्वारा भी इस तरह की घटनायें अंजाम दी जा रहीं हैं, जिसका मूल कारण पर–नारी के प्रति भोग्या–भाव का होना है। ऐसी स्थिति में युवा जिस तरह अपनी बहन एवं मां की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर एवं मरने–मारने को तैयार रहते हैं, उसी प्रकार दूसरे महिलाओं के प्रति अपनी इसी तत्परता को बनाये रखें तो शायद दूसरों की दुःसाहस पर विराम लगे। साथ ही बलात्कार पीड़िता के प्रति युवा यदि अपनी सहानुभूति दिखलाये तो, उसके जीवन की राह भी सुगम हो सकता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जो अपने अंदर अपार ऊर्जा का संचय किए रहता है बस आवश्यकता उसके सकारात्मक उपयोग करने की है। इतिहास साक्षी है कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह का निषेध, नारी अशिक्षा, उनके अधिकारों को प्रदान करने इत्यादि में युवा वर्ग यथा – राजाराम मोहनराय, डी0 के0 कर्वे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशवसेन, विवेकानंद, ज्योतिबाफुले सहित न जाने कितने युवाओं ने रूढ़िगत एवं त्रस्त समाज को एक नयी दिशा एवं अच्छी दशा प्रदान की। सवाल उठता है कि क्या वर्तमान भारत के युवा अपने कर्तव्य का बोध कर इन बुराईयों के खिलाफ पुनः समाज सुधार का आगाज नही कर सकते। युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ हार जाने के बाद, द्रोपदी को दांव पर लगा दिया था। जब द्रोपदी को भी हार गये तो दुर्योधन की सभा में खड़ी द्रोपदी ने यह सवाल पूछा था कि 'जब युधिष्ठिर अपने आप को हार चुके तो, उन्हे क्या हक है कि वे मुझे दांव पर लगाते। द्रोपदी का यह सुलगता सवाल जिसका उत्तर धर्मराज भी नहीं दे सके थे – आज भी खड़ा है। इसका उत्तर युवा ही दे सकते हैं क्योंकि युधिष्ठिर युवा ही थे जिन्होंने द्रोपदी को दांव पर लगाया था और श्री कृष्ण भी युवा ही थे जिन्होने उनकी प्रतिष्ठा को बचाया था। वर्तमान में युवा पीढ़ी को श्री कृष्ण की भूमिका में अपना दायित्व निर्वहन करना होगा। यही समय की मांग है।

ooooo

एक सफल क्रान्ति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है । आवश्यक है कि न्याय एवं राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में भी गहरी आस्था हो ।

बी. आर. अम्बेडकर

ps Oct-Dec'13-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 12/17/2013 12:5 PM Page 16

कार्यात्मक साक्षरता की गृह प्रबन्धन में उपयोगिता

रीना चौरसिया

एस. एस. रावत

"शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है, वरन् जीवन–यापन की प्रक्रिया है।" –जॉन ड्यूीव

यद्यपि एक निरक्षर व्यक्ति एक अच्छा इन्सान हो सकता है पर सहज और सफल जीवनयावन के लिए उसका शिक्षित होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। साक्षरता शिक्षा का प्रवेश द्वार है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामन्जस्यपूर्ण विकास में योगदान देती है और उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति को अपने वातावरण से सामन्जस्य स्थापित करने में सहयोग देती है तथा जीवन और नागरिकता से जुड़े उन कर्त्तव्यों व दायित्यों का बोध कराती है जो समाज व देश के लिए हितकर होता है जबकि निरक्षरता एक अभिशाप है। निरक्षरता से राष्ट्र व समाज की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। जननिरक्षरता का उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के द्वारा ही हम एक सभ्य एवं सुसंस्कृत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा से ही हमारी प्रवृत्तियाँ, विचार , हमारे निर्णय और मूल्य, हमारी संस्थायें, नैतिक संहिताएं और शिष्टाचार के नियम, हमारे विज्ञान, दर्शन तथा बहुत–सी चीजें सुन्दर एवं सकारात्मक बनती हैं। शिक्षा की महत्ता को समझते हुए इसे संवैधानिक अधिकारों में भी सम्मिलित किया गया है।

साक्षरता सशक्तीकरण का माध्यम है। यह निरक्षर प्रौढ़ों को समर्थ व सशक्त बनाती है ताकि वे सामाजिक जीवन में प्रभावी ढ़ंग से प्रतिभाग कर सकें। प्रायः लिखने–पढ़ने तथा साधारण गणित की जानकारी को ही मूल साक्षरता कहा जाता है, किन्तु साक्षरता एक ऐसा सम्बल है जिसे पाकर व्यक्ति उतरोत्तर अपनी सहायता स्वयं करने के योग्य हो जाता है और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेता है। शिक्षित माता–पिता अपने बच्चों को साक्षर बनाने में रूचि लेते हैं तथा शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है।

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गाँधी ने वर्षों से संचालित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को साक्षरता मिशन का रूप दिया था। 5 मई, 1988 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक महिला प्रौढ़ शिक्षार्थी के साथ मिलकर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के जन अभियान का शुभारम्भ किया गया था। इस मिशन के तहत महिला साक्षरता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

35वें अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितम्बर 2001 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साक्षरता की आवश्यकता और अनिवार्यता के सन्दर्भ में कहा था कि– 'जब कोई बालक अपना

नाम लिखना सीख जाता है तो उसे बहुत आनन्द होता है । ठीक वैसे ही निरक्षर व्यक्ति को अंगूठा लगाने में खिन्नता महसूस होती है। हर स्वाभिमानी व्यक्ति अंगूठा लगाने के बजाय अपना नाम लिखना ही पसंद करता है। श्री वाजपेयी ने साक्षरता को जलते हुए दीपक की उपमा देते हुए कहा था कि जैसे किसी मकान की देहरी पर दीपक रखने से बाहर और भीतर दोनों ओर प्रकाश हो जाता है, साक्षरता का काम भी ठीक उसी तरह है।' अर्थात साक्षरता व्यक्ति के अन्दर और बाहर के अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर करने में मदद करती है।

देश में आज अनेक कल्याणकारी योजनायें व कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जो व्यक्ति के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधारकर राष्ट्रीय विकास की ओर उन्मुख हैं। अपेक्षित साक्षरता के अभाव में, अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं को पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त हो रही है क्योंकि देश का एक बड़ा हिस्सा अज्ञानता और अनभिज्ञता के कारण इनसे सक्रिय रूप में जुड़ ही नहीं पाता है। स्व. पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने भी व्यापक जननिरक्षरता के कारण विकास कार्यक्रमों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी। स्वाभाविक है कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक साक्षरता कार्यक्रम जैसे समाज शिक्षा, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन इत्यादि संचालित किए गए। वर्तमान में उपरोक्त उदेश्यों को पूरा करने के लिए साक्षर भारत कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

साक्षर भारत कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। कार्यात्मक साक्षरता का तात्पर्य निरक्षर व्यक्ति को मात्र लिखने–पढ़ने और गणना या हिसाब–किताब में ही आत्मनिर्भर बनाना नहीं है अपितु उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति के कारणों व समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान खोजने व सुधार के लिए प्रयास करने हेतु सजग और समर्थ बनाना भी है ताकि वे विकास की प्रक्रिया में अपनी भमिूका निभा सकें। कार्यात्मक साक्षरता में साक्षरता के साथ–साथ सामाजिक चेतना और कौशलों का विकास, स्वास्थ्य, वातावरण की स्वच्छता, परिवार कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, पर्यावरण संरक्षण, मूल्य परक शिक्षा तथा लैंगिक समानता आदि पर भी बल दिया जाता है। साक्षर भारत के अर्न्तगत महिला और कमजोर वर्गों की साक्षरता पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही जनशिक्षण संस्थानों के माध्यम से सतत् एवं जीवन पर्यन्त शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है।

विगत दशकों में विशेष कर 90 के दशक से पूर्व साक्षरता वृद्धि दर की धीमी प्रगति, प्राथमिक शिक्षा में ड्रापआउट दर की अधिकता तथा जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर के कारण साक्षरता कार्यक्रमों की उपलब्धियां परिलक्षित नहीं हो पायी थीं। किन्तु पिछले दो दशकों– 1991 से 2001 तथा 2001 से 2011 के मध्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संयुक्त प्रयासों से साक्षरता दर में आशानुकूल वृद्धि दर्ज की गयी है जिसके फलस्वरूप कुल निरक्षरों की संख्या में भी कमी आयी है। पर अभी भी देश की लगभग 26 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है। साथ ही देश में 35 प्रतिशत महिलायें निरक्षर हैं। यह स्थिति पारिवारिक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की भारत

में विभिन्न दशकों में साक्षरता वृद्धि दर (प्रतिशत में) निम्न रूप है–

वर्ष	कुल साक्षरता दर	महिला साक्षरता दर	पुरूष साक्षरता दर
1951	18.33	8.86	27.16
1961	28.31	15.34	44.46
1971	34.45	21.97	45.95
1981	43.56	29.75	56.37
1991	52.17	39.42	63.86
2001	65.38	54.16	64.13
2011	74.04	65.46	82.14

भारत में सामाजिक व आर्थिक प्रगति का आधार शिक्षा है। अंग्रेजी शासन के अन्त में अर्थात सन् 1947 में भारत में साक्षरता दर मात्र 12 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 74.4 प्रतिशत हो गई। यह विश्व की औसत साक्षरता दर 84 प्रतिशत से कम है। भारत की साक्षरता दर कम होने तथा शत–प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति से दूरी का एक मुख्य कारण लम्बे अन्तराल से अधिकांश महिलाओं की निरक्षरता है। अतीत में अनेक सामाजिक कारणों से तथा लैंगिक असमानता के कारण अभी भी वर्तमान में महिलाओं की साक्षरता दर (65.46 प्रतिशत) पुरूषों की साक्षरता दर (82.14 प्रतिशत) से कम है। पुरूष–स्त्री के मध्य साक्षरता दर में 16.68 प्रतिशत का अन्तराल तथा प्रति हजार पुरूषों में 940 स्त्रियों का लिंगानुपात स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता की ओर संकेत करता है। अतः महिलाओं की साक्षरता की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साक्षर भारत मिशन तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रम इसी दिशा में उठाए गये एक ठोस कदम हैं।

कार्यात्मक साक्षरता महिलाओं के व्यक्तित्व तथा व्यवहार को अनेक प्रकार से प्रभावित करती है। मूल साक्षरता अर्जित करने के उपरान्त नवसाक्षर महिलायें पत्र–पत्रिकाएं, अखबार आदि पढ़कर, समकालीन स्थितियों से स्वयं को जोड़कर, लेखन द्वारा अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर, अपने रोजगार, कार्यक्षेत्र आदि से सम्बन्धित आधुनिक उपकरणों/यंत्रों/तकनीकी ज्ञान से परिचित होकर, नई प्रविधियों को अपनाकर अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि करती हैं और इस प्रकार सामाजिक–आर्थिक उन्नति व उच्च रहन–सहन के द्वारा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती हैं।

सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में महिलाओं का योगदान सदा से रहा है। यदि महिलाओं को ही अशिक्षित छोड़ दिया जाये तो स्वस्थ एवं समृद्ध घर–परिवार, समाज तथा राष्ट्र की कल्पना करना व्यर्थ होगा। स्त्रियाँ घर की आत्मा हैं, प्राण हैं, हृदय हैं, जिनके बिना घर, एक सजीव संस्था न होकर एक निर्जीव 'मकान' होता है। गृहिणियां परिवार की धुरी होती हैं। बहन, बेटी, पत्नी और मां के रूप में उनकी भूमिका व्यापक ही नहीं अपितु चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए उनका साक्षर और सजग होना

जरूरी है।

एक सुशिक्षित स्त्री सजग, सहृदयी और कुशल व्यवहार सम्पन्न गृहिणी होती है। माँ बालक की प्रथम शिक्षिका होती है और ' घर' प्रथम पाठशाला। जब माता शिक्षित/साक्षर, ज्ञानवान, एवं संस्कारित होगी तभी वह अपने बालक को सुसंस्कृत एवं गुणवान नागरिक बना सकेगी । इसी प्रक्रिया से ज्ञानवान समाज (नॉलेज सोसायटी) का निर्माण होता है जो नवाचार और सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरक का कार्य करता है। कहा भी गया है कि–

'यदि आप एक पुरूष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है किन्तु जब आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं, तो पूरा परिवार एवं उसका पूरा परिवेश शिक्षित होता है।'

स्त्री परिवार के सभी सदस्यों में आशा, उत्साह एवं उमंग का संचार करती है। एक सजग और शिक्षित गृहिणी परिवार के सभी सदस्यों के मध्य केन्द्रीय अभिकरण के रूप में कार्य करती है। उसके द्वारा ही परिवार में प्रेम, दया, करूणा, सहयोग, त्याग, स्नेह आदि मानवीय गुणों का विकास होता है और एक सक्षम माता ही सद्‌गुणों के विकास पर विशेष ध्यान देती है। एक आदर्श परिवार की रचना जागरूक और शिक्षित गृहिणी के इर्द–गिर्द होती है। आदर्श परिवार में ही समाज की जागरूक पीढ़ी पनपती है जो राष्ट्रीय विकास की आधारशिला बनती है।

इस प्रकार सुखी परिवार के लिए उत्तम गृह–प्रबन्धन अति आवश्यक है और उचित गृह–प्रबन्ध तभी सम्भव हो सकता है, जब महिलाऐं समुचित रूप में शिक्षित और सचेत हों। कार्यात्मक साक्षरता के अन्तर्गत महिलाओं को परिवेश से सम्बन्धित आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता हैं। इसके अन्तर्गत जहाँ एक ओर महिलाओं को उन्नत बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों, कम्पोस्ट खाद, कृषि संबंधित आधुनिक यंत्र व तकनीकी ज्ञान तथा पशुपालन, लघु कुटीर उद्योग धंधों आदि की जानकारी दी जाती है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को गृह–प्रबंधन, घर की साज–सज्जा, साफ–सफाई, आहार नियोजन, फलसंरक्षण, हस्त शिल्प, अल्प–बचत, स्वास्थ्य रक्षा, शिशुओं का पालन–पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि की जानकारी दी जाती है। ये सभी जानकारियां प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में गृह–प्रबंधन में सहायक होती हैं।

गृह–प्रबन्धन में कार्यात्मक साक्षरता की उपयोगिता –

एक साक्षर और शिक्षित स्त्री, सफल और आदर्श मां व गृहिणी होती है। कार्यात्मक साक्षरता एक गृहिणी के लिए निम्न रूप में सहायक होती है–

- कार्यात्मक साक्षरता में केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं दिया जाता अपितु महिलाओं में ज्ञानात्मक, दृष्टिकोणात्मक एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है जिससे कि वे एक जागरूक नागरिक और कुशल गृहिणी बन सकें।
- कार्यात्मक साक्षरता स्त्रियों की कार्य कुशलता बढ़ाने में भी मदद करती है।
- साक्षर गृहिणी मैगजीन, अख़बार व उपयोगी साहित्य पढ़ने लगती है जिससे उसे गृह–प्रबन्धन

सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जैसे – गृह की साज सज्जा, धातु व फर्नीचर की सफाई, व्यंजन, संतुलित आहार, शिशु पालन–पोषण व बागवानी इत्यादि। ये जानकारी गृह–प्रबन्धन में उपयोगी होती है।

- पढ़ी–लिखी गृहिणी में संचार कुशलता अधिक पायी जाती है जिससे उसकी प्रभावशीलता बढ़ती है।
- कार्यात्मक साक्षरता के अर्न्तगत हिसाब–किताब /गणना करना आदि सीखकर गृहिणी घरेलू हिसाब–किताब , आय–व्यय का ब्यौरा, खरीदारी, बचत करना, बचत का विनियोग आदि का उपयोग गृह–प्रबन्धन में करती हैं जिससे परिवार आर्थिक दृष्टि से खुशहाल बनता है। साथ ही वह अनभिज्ञता के कारण विचौलियों के शोषण का शिकार नहीं बनती है।
- गृहिणी जब साक्षर व सुशिक्षित होती है तो वह परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल–जुलकर रहती है और उन्हें टीम भावना से मिल–जुलकर काम करने के लिए प्रेरित भी करती है। इससे परिवार का वातावरण शान्त व मधुर बनता है तथा सभी प्रसन्नचित्त एवं सुखी होते हैं।
- कृषि से उपजाई हुई खाद्य सामग्री का रख–रखाव , भण्डारण, उसका उचित वितरण एवं उपभोग भी आवश्यक है। यह कार्य मुख्यतः गृहिणी द्वारा सम्पन्न होता है क्योंकि गृह–प्रबन्धन उसी के हाथों में होता है और यह तभी सम्भव होगा जब वह सुशिक्षित व जागरूक होगी।
- कार्यात्मक साक्षरता के अन्तर्गत खाद्य संरक्षण सम्बन्धी उपयोगी जानकारी भी दी जाती है। इससे सस्ती मौसमी फल–सब्जियों को संरक्षित करके विभिन्न प्रकार के उत्पादों जैसे– जैम, जैली, स्क्वैश, आचार, मुरब्बे, पापड़ एवं बड़ी इत्यादि बनाये जाते हैं। इससे मौसमी फल–सब्जियां सड़ने से बच जाती हैं, साथ ही ये पूरे वर्ष के लिए उपलब्ध हो जाती हैं और यदि गृहिणी इसको व्यवसाय के रूप अपनाती है तो उसे आर्थिक लाभ भी होता है।
- कार्यात्मक साक्षरता केन्द्रों द्वारा गृहणियों को प्राथमिक चिकित्सा व संक्रामक रोगों के बारे जानकारी प्राप्त होती है। अतः वे इससे बचाव के उपाय भी करती हैं। वे अपने शिशुओं के पोषण व टीकाकरण के प्रति सजग होती हैं।
- साक्षर गृहिणीयाँ खरीदारी करते समय उत्पाद पर लिखी आवश्यक जानकारियां और परामर्श पढ़ लेती है तथा उसकी मात्रा, मूल्य, उत्पादन व समाप्ति तिथि, कम्पनी का नाम इत्यादि की सही जानकारी प्राप्त करती है। इससे दुकानदार ठग नहीं पाते हैं। ऐसी गृहिणियाँ जागरूक उपभोक्ता होती हैं।
- शिक्षित और जागरूक ग्रामीण स्त्रियां आधुनिक साधनों जैसे–उन्नत चूल्हे, धुआं रहित चूल्हे, प्रेशर कुकर, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों इत्यादि का उपयोग करना सीखती हैं जिससे उनके श्रम, समय और धन की बचत होती है।
- कार्यात्मक साक्षरता के अर्न्तगत कौशल विकास क्रिया–कलापों द्वारा ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न कार्यों जैसे– सिलाई, कटाई, कशीदाकारी एवं स्थानीय हस्तशिल्प में निपुण बनाया जाता है। इससे वे अपने घर को तो सुन्दर बनाती है साथ ही इसे रोजगार के रूप में अपनाकर स्वंयम्

का उद्यम भी चला सकती हैं।

- बागवानी और उद्यानिकी के आधुनिक तौर–तरीके अपनाकर गृहिणियां कुटुम्ब के लिए ताजी फल व सब्जियों का प्रबन्ध स्वयं कर सकती हैं।
- साक्षरता कार्यक्रमों द्वारा कम खर्च में संतुलित एवं पौष्टिक आहार के प्रबन्धन की जानकारी प्राप्त होती है। मंहगे पौष्टिक खाद्य पदाथों के सस्ते विकल्पों जैसे–आयरन की प्राप्ति हेतु गुड़ का उपयोग, प्रोटीन एवं विटामिन्स की प्राप्ति के लिए दालें, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, राजमा एवं सस्ती सब्जियां जैसे– सहजन, साग, मूली के पत्ते, गोभी, आंवला एवं गाजर आदि का उपयोग की जानकारी मिलती हैं।

इस प्रकार साक्षरता और शिक्षा एक माध्यम है जो कि स्त्रियों को स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। शिक्षा लक्ष्य नहीं है अपितु एक माध्यम है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो गृहिणियों के जीवन की गुणवत्ता संर्वधन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अतः एक सफल और आदर्श परिवार तथा समाज और राष्ट्र के निर्माण लिए पुरूषों के साथ–साथ सभी स्त्रियों की शिक्षा, जागरूकता और कुशलता को बढ़ाना भी आवश्यक है। साक्षर भारत का यही संकल्प है, यही उद्देश्य है।

संदर्भ

- प्रौढ़ शिक्षा, सितम्बर 2001,भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ प्रकाशन, नई दिल्ली अंक–6, पृष्ठ–3,4.
- अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 08 मार्च 2009, प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं प्रसार विभाग हे0 न0 ब0 गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)।
- पाण्डेय रामशकल एवं पाण्डेय करूणाशंकर, चतुर्थ संस्करण–2008, प्रौढ़ शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा पृष्ठ–44.
- नवानी लोकेश, रावत कल्याण सिंह (सम्पादक), 2013 'उत्तराखण्ड इयर बुक 2013' विनसांर पब्लिकेशन कम्पनी, पृष्ठ 58 एवं 59.

ps Oct-Dec'13-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 12/17/2013 12:5 PM Page 22

बुन्देलखण्ड में प्रौढ़ शिक्षा द्वारा वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक चेतना का समाजशास्त्रीय अध्ययन

– इन्दिरा श्रीवास्तव

प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा में समय के साथ साथ आवश्यकतानुसार परिवर्तन होते रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा का साहित्यिक अर्थ है उन प्रौढ़ों के लिए शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराना जिन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने वाली आयु में औपचारिक शिक्षा के नियमित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा प्राप्त न की हो। इसकी अवधारण को परिभाषित करने के विषय में कई विरोधाभास हैं। प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा विगत शताब्दियों में विकास की एक लम्बी श्रंखला से होकर गुजरी है। समय–समय पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इसे विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। इससे जुड़ी पश्चिमी व भारतीय विचारधाराओं को इस प्रकार देखा जा सकता है।

पश्चिमी विचारधारा

जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपनी समस्याओं को सुलझाता रहता है। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करता है। इस विचार का समर्थन करते हुए ब्राइसन लिखते हैं कि–

प्रौढ़ शिक्षा जीवन के सामान्य व्यापार में व्यक्तियों द्वारा चलाये गये शैक्षिक उद्देश्यों के साथ एक क्रिया कलाप है जो छोटी या बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए उर्जा व समय के एक भाग का उपयोग करते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा को चाहिए कि वो अभिवृत्तियों की समझ व कौशल आदि का विकास करे जिससे व्यक्ति अपनी दिन प्रतिदन की समस्याओं को सुलझाने योग्य बन सके। इस विचार को सुदृढता प्रदान करते हुए ब्रैडफोर्ड लिखते हैं कि "प्रौढ़ शिक्षा प्रौढ़ व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया गम्भीर संगठित व ऐच्छिक प्रयास है जिसके द्वारा शैक्षिक साधनों से सूचना, अभिवृतियों की समझ, और कौशल प्राप्त कर वे अपनी व्यावसायिक वैयक्तिक, तथा नागरिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्राप्त कर सके।"

उपरोक्त के संबंध में इनसाइक्लोपीडिया अमेरिका का विचार है कि शिक्षा का कोई भी प्रकार, औपचारिक या अनौपचारिक, जो कि प्रौढ़ों के ज्ञान, कौशल, अभिवृतियों, योग्यताओं का विकास करता है तथा अपनी समस्यायें सुलझाने मे सहायता करता है, वही प्रौढ़ शिक्षा है।

शिक्षा केवल कुछ अवधि या विशेष आयु तक ही सीमित नहीं रहता। यूनेस्को (1972) द्वारा प्रकाशित पुस्तक "लर्निंग टुबी" के अनुसार शिक्षा एक विस्तृत प्रक्रिया है। शिक्षा केवल कक्षा की चार दीवारों तक ही सीमित नही है। बल्कि यह जीवन–पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। इसी दृष्टि से देखें तो यह प्रौढ़ शिक्षा की उपर्युक्त अवधारणा का ही एक आयाम है।

उपरोक्त विचारों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पश्चिमी विचारधारा में प्रौढ़ शिक्षा को जीवन की समस्याओं के निराकरण का पर्याय माना गया है। इसे जीवन की समस्याओं से निपटने का एक साधन माना गया है।

भारतीय विचारधारा

भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा अत्यधिक प्राचीन और विस्तृत है। उपनिषद् काल में प्रौढ़ शिक्षा कथाओं (जातक गल्प) के रूप में विद्यमान थी किन्तु इसके अर्थ और प्रकार को विभिन्न कालों में विभिन्न स्वरूपों तथा नामों से जाना जाता रहा है जैसे रात्रि शिक्षा, समाज शिक्षा कृषक कार्यात्मक साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि। गांधीजी ने कहा था "शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बच्चे और व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में निहित सर्वाधिक अच्छाइयों को उजागर कर लेना। उनका कहना था कि शिक्षा केवल बच्चों के लिये ही नहीं बल्कि प्रौढ़ों के सर्वांगीण विकास के लिये भी आवश्यक है।

स्वतंत्रता से पूर्व प्रौढ़ शिक्षा को इसके अक्षरशः शाब्दिक अर्थ अर्थात प्रौढ़ शिक्षा तक ही सीमित किया जाता रहा। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय केवल 16 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर थे तथा बाकी 84 प्रतिशत जनता निरक्षर थी। उस समय के नेतृत्व के लिये सैय्यदन ने पंचम अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन में अपने उद्बोधन भाषण में कहा था कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को पढ़ाना, कुछ लिखित प्रतीकों को समझना तथा उनको ध्वनि में अनुदित कर सिखाना है। अपने इस संबोधन में श्री सैय्यदन केवल सैद्धान्तिक पहलू पर जोर देते प्रतीत होते हैं। सन् 1949 में प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा को समाज शिक्षा के रूप में विस्तारित किया गया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यूनेस्को द्वारा आयोजित ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा पर हुई गोष्ठी में अपने उद्घाटन भाषण में प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा के रूप में निरूपित किया।

डा0 माथुर के अनुसार "शिक्षा का तात्पर्य है पूर्ण मानव हेतु शिक्षा। शिक्षा उसको साक्षर बनायेगी जिससे उसे विश्व का ज्ञान मिलेगा। यह उसे सिखायेगी कि किस प्रकार अपने पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित किया जाये । इसके द्वारा उसे उत्पादन प्रणाली तथा कलाओं में सुधार का प्रशिक्षण मिलेगा जिससे उसका आर्थिक विकास हो सकेगा। इसका (शिक्षा) उद्देश्य यह भी है कि यह मानव को व्यक्ति व समुदाय दोनों के लिये स्वच्छता का प्रशिक्षण दे जिससे हमारा प्रजातांत्रिक जीवन और भी

स्वस्थ और समृद्ध हो सके"।

प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता ही नहीं है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने चारो ओर की समस्याओं तथा अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। प्रोफेसर हुमांयू कबीर के वक्तव्यों ने उपर्युक्त कथन के सामाजिक शिक्षा संबंधित परिभाषा को प्रस्तुत किया है।

शारदा देवी के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा 'प्रौढ़ साक्षरता से 'मानव निर्माण' के रूप में उदित हुई है जिसमें न केवल शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व आर्थिक पहलुओं पर वरन नैतिक तथा अध्यात्मिक पहलुओं पर भी बल दिया गया है जिससे व्यक्ति सही अर्थो में शिक्षित तथा सभ्य बन सकें"।

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को राष्ट्र के हित में कार्य करने तथा राष्ट्रीय सहयोग देने के लिए तैयार करना भी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्व. श्री वी.वी. गिरी कहते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा को विशाल समूहों में एक चेतना उत्पन्न करनी चाहिए जो उन्हें महान राष्ट्रीय कार्यो को पूरा करने की ओर उन्मुख कर सके।

प्रौढ़ शिक्षण को एकीकृत विकास कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है। इसकी नवीन अवधारणा के तीन आधार हैं– सभी भारतीय नागरिकों को साक्षर बनाना, उनको प्रगतिशील दृष्टिकोण की ओर अग्रसर करना एवं नागरिकता की भावना का विकास करना। ग्रामीण जनता में प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार का तात्पर्य वैयक्तिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, बौद्धिक (साक्षरता), नैतिकता का विकास एवं स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सहभागिता का विकास है। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा में आज आशातीत परिवर्तन हो गया है। साक्षरता अपने छोटे दायरे से निकलकर सामाजिक शिक्षा का व्यापक रूप ग्रहण कर चुकी है। अब इसका आयोजन व्यक्तियों को साक्षर बनाने (थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने) तक ही सीमित नहीं है वरन् वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा अन्य बातों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लाभान्वित होने तक की जागरूकता लाना है।

प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों का बहुमुखी विकास है जिसके अन्तर्गत वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास शामिल है। नयी दिल्ली में हुए चर्तुदश राष्ट्रीय गोष्ठी की प्रतिवेदन के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा व्यक्तियों के जीवन के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध इसलिए इस कार्यक्रम को विभिन्न चरणों में गतिशील होना चाहिये तथा समय की निश्चित अवधि में इसे समाज की आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित करना चाहिए (1966 पृ.3)

भारतीय के संविधान में यह स्वीकार किया गया है कि सन्1961 तक प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण कर दिया जाएगा परन्तु आज भी देश इस लक्ष्य से बहुत दूर है। अज्ञानता और निर्धनता की बुनियादी समस्यायें आज भी माजूद हैं। अज्ञानता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध निरक्षरता से है। निरक्षरता, निर्धनता को जन्म देती है। अज्ञानता व निर्धनता की बीच निश्चित सम्बन्ध है। आर्थिक,

राजनीतिक और सामाजिक लक्ष्यों के विकास के संदर्भ में हमें प्रौढ़ शिक्षा की वैध भूमिका को समझना होगा।

व्यापक दृष्टि से देखें तो प्रौढ़ शिक्षा इस प्रकल्पनाओं पर आधारित है कि (क) अज्ञानता व निरक्षरता देश के सामाजिक, आर्थिक प्रगति व व्यक्ति की संवृद्धि में एक बड़ी बाधा है (ख) शिक्षा का तात्पर्य केवल स्कूली शिक्षा से ही नहीं है (ग) सीखना, कार्य करना तथा जीवन एक दूसरे से पृथक नहीं हैं (घ) यह औपचारिक शिक्षा की प्रक्रिया तथा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति औपचारिक शिक्षा की प्रक्रिया में लगा रहता है।

प्रौढ़ शिक्षा न केवल एक विकल्प अपितु एक आवश्यकता है। मोहन्ती ने इस बात का उल्लेख किया है कि सामूहिक निरक्षरता और सामूहिक निर्धनता ये दोनों महत्वपूर्ण समस्यायें हैं और दोनों ही सकारात्मक रूप से सम्बन्धित हैं। कुंडू ने इन विचारों को यह कहकर कि विकास उतना ही आवश्यक है जितना कि लक्ष्य और निरक्षर तथा निर्धन अपनी स्वतंत्रता साक्षरता, संवाद और क्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

देवदास के अनुसार "शिक्षा मानव विकास के लिये आवश्यक है। प्रजातंत्र बिना शिक्षा के कार्य नहीं कर सकता। निरक्षरता का उन्मूलन राष्ट्रीय विकास का आधार है"।

वैज्ञानिक और प्रोद्यौगिक विकास ने हमारे जीवन प्रतिमानों में परिवर्तन किया है साथ ही हमारे परम्परागत प्रारूपों व मूल्यों को कमजोर भी कर दिया है। इसके साथ ही हमारी जनसंख्या अपनी जटिल समस्याओं के साथ अनेकों असमानता लिए हुए है। अतः आधुनिक परिवर्तनों और विकास की जटिलताओं को भलीभांति समझने के लिये तथा समाज में उनकी भूमिकाओं को समझने के लिए "प्रौढ़ शिक्षा एक राष्ट्रीय आवश्यकता है तथा नागरिकता का एक अपृथकनीय पहलू है। इसलिये इसे सार्वभैमिक व जीवन पर्यन्त दोनों ही होना चाहिए। विदित है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 29 व 30 में जाति, रंग व धर्म किसी भी आधार पर बिना किसी भेदभाव के समस्त नागरिकों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करता है।

अवधारणा का स्पष्टीकरण

प्रस्तुत शोध कार्य सम्प्रव्ययों के सहारे गतिवान हुआ है। प्रौढ़ शिक्षा मूल्यांकन में इसको नकारा नहीं जा सकता कि शिक्षा चाहे वह छोटा हो या बड़ा, धनवान हो या निर्धन, बालक हो या जवान, अथवा प्रौढ़ सभी के लिए उपयोगी है। इस के द्वारा ही उसमें वैयक्तिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक चेतना का विकास हो सकता है। किसी भी राष्ट्र के लिये शिक्षित नागरिकों का होना अत्यंत आवश्यक है। जिन देशों में इस दिशा पर ध्यान नहीं दिया गया, वहां वांछित प्रगति नहीं हुई है। ऐसे राष्ट्र या देश आज भी तृतीय विश्व में ही गिने जाते हैं।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत के गांवों में अभी भी बड़ी संख्या में निरक्षर व्यक्ति रहते

हैं। गांवों के विकास में उनकी सहभागिता के लिये उन्हें शिक्षित करना अनिवार्य है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सम्पूर्ण भारत में चल रहे हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण अनपढ़ प्रौढ़ो में, वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा अन्य चेतना एवं जागरूकता लाने की आशा की जाती है। बावजूद इसके यह अवधारणा प्रचलित है कि प्रौढ़ शिक्षा में अपव्यय हो रहा है और इससे ग्रामीण अनपढ़ प्रौढ़ को वांछित लाभ ही नहीं हो रहा है। यह शोध कार्य उक्त अवधारणा की परख हेतु किया गया है। सीमित समय और साधन की सीमितता को ध्यान में रखते हुए इस शोध अध्ययन को बुन्देलखण्ड प्रभाग तक ही सीमित रखा गया है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम एवं उद्देश्य

प्रौढ़ शिक्षा व्यक्ति और समाज के उतरोत्तर विकास के लिए जनजागरण का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम साक्षरता के माध्यम से देश से गरीबी तथा सामाजिक विषमताओं के उन्मूलन हेतु कृत संकल्प है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को स्वावलम्बी तथा विकास की दिशा में अग्रसर होने के लिए साक्षर होना अति आवश्यक है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम निरक्षरता के उन्मूलन से प्रारम्भ होकर प्रौढ़ में व्यावसायिक दक्षता एवं चेतना जागृति भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा समाज के उपेक्षित जन समूह को आगे बढ़ाने का संशक्त माध्यम है।

प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों को निम्न बिन्दुओं में वर्णित किया जा सकता है :

1. राष्ट्रीय विकास की गति को तेज करना।
2. गरीबी और शोषण से मुक्ति।
3. ग्रामीण विकास।
4. प्रौढ़ों की मनोवृत्ति बदलना।
5. प्रौढ़ों की चेतना एवं व्यावसायिक कुशलता बढ़ाना।
6. नारी समाज को समानता प्रदान करना और उनमें जागृति लाना।
7. स्वावलम्बी बनाना।
8. अंधविश्वास और रूढ़ियों को समूल नष्ट करना।

भारत सरकार की सन 1986 की नई शिक्षा नीति द्वारा समाजवादी समाज की रचना की संकल्पना की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय नयी शिक्षा नीति में साक्षरता और सामाजिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने सम्बन्धी नीतियां बनी जिन्हें प्रभावी ढंग से चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूप रेखा भी तैयार की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के तत्वावधान में सेन्टर फार एडल्ट एजूकेशन एण्ड एक्सटेन्शन (सी.ए.ई.ई.) देश भर में चलाए गये जिसके तहत 33 कालेज चुने गये थे। प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य और कार्यक्रमों में व्यापकता और प्रसार लाना इसका उद्देश्य था, जो धीरे–धीरे प्राविधिक

ps Oct-Dec'13-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 12/17/2013 12:5 PM Page 27

होता जा रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों को तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में निम्न आधारों पर देखा जा सकता है :

1. ऐसे व्यक्तियों को साक्षर करना, जिनको औपचारिक शिक्षा सुलभ नही हो सकी है।
2. संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग करना, व्यक्तियों को स्थानीय साधनों के विषय में ज्ञान कराना और उनके उपयोग के महत्व को समझाना और उपयोग करने में मार्ग दर्शन करना।
3. अच्छे नागरिक बनने के महत्व को बताते हुए, उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना।
4. नैतिक मूल्यों के प्रति समाज को जागरूक करना और इस हेतु उनका मार्ग दर्शन करना।
5. बाल विवाह, दहेज, स्त्री पुरूष की असमानता, अस्पृश्यता, जुआ जैसी कुरीतियां एवं अंध विश्वास आदि के प्रति सावधान करना।
6. अपव्यय, अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी आदि बातों के प्रति सजग करना।
7. लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की ओर तथा वैज्ञानिक संसाधनों के उपयोग के प्रति जागरूक करना।
8. व्यक्तियों को उनकी दैनिक आवश्यकता अनुसार औपचारिक शिक्षा प्रदान करना।
9. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन (बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण) सम्बन्धी शिक्षा देना।
10. कृषि सम्बन्धी जानकारी देना तथा कृषि के विकसित उपकरणों के विषय में ज्ञान देना एवं उनके प्रयोग के लिये संसाधनों के विषय में व्यापक रूप से ज्ञान देना।

भारत सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिये निर्धारित नीति निम्नलिखित रही है :

1. प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता देना जारी रखना, जिनका साम्प्रदायिक झुकाव न हो।
2. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से अधिक से अधिक सहयोग लेना।
3. महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, मजदूरों तथा कमजोर वर्ग को प्राथमिकता देना।
4. प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से नव साक्षर हुए लोगों को नवसाक्षर उपयोगी साधन सुलभ कराना।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तीन प्रमुख उद्देश्यों को नयी विचारधारा से व्यापक बनाया गया है जिसके अनुसार उद्देश्यों का विवरण निम्नांकित है :

(अ) साक्षरता प्रसार

इसके अन्तर्गत चार बातें आती हैं।

1. समझ समझ कर सामान्य गति से किताब पढ़ना।
2. सरल शब्दों में लिखना।
3. सौ तक गिनती जानना।
4. साधारण जोड़, बाकी, गुणा, भाग का ज्ञान।

(ब) व्यावसायिक कुशलता बढ़ाना

इसके अन्तर्गत तीन प्रमुख बातें आती हैं :

1. प्रौढ़ो द्वारा किये जा रहे विभिन्न व्यावसायों, उद्योगों, कार्यों, कृषि, पशुपालन, लघुकुटीर तथा उद्योगों के कौशल को समुन्नत करने का ज्ञान देना।
2. उन्हें नये उद्योगों की स्थापना की ओर अग्रसर कराना।
3. अपने दैनिक काम काज को आर्थिक कुशलता से कर सकने की क्षमता बढ़ाना।

(स) चेतना जागृति

इसके अन्तर्गत 6 प्रमुख बिन्दु हैं :

1. नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाना।
2. विभिन्न ग्राम विकास योजनाओं की जानकारी होना और उनकी प्रक्रियाओं से परिचित हो जाना।
3. 15–35 वर्ष आयुवर्ग के सभी लोगों को शिक्षित करना।
4. मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र, कृषक, मजदूर, निर्बल वर्ग, अनु.जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, को शिक्षित करना।
5. ऐसी व्यवस्था करना कि 15–35 आयु वर्ग से कम या अधिक के लोग भी शिक्षित होने का लाभ उठा सकें।
6. गन्दी, मलिन बस्ती के स्त्री पुरूष भी कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें।

सामान्य उद्देश्य

प्रौढ़ शिक्षा के सामान्य उद्देश्य निम्नवत हैं :

1. प्रौढ़ विद्यार्थी में अन्तर्निहित क्षमताओं का समुचित विकास हो सके।
2. उसमें आत्मविश्वास जागृत हो सके।
3. वैज्ञानिक चिन्तन का विकास हो सके।

4. सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिये अपने को वह तैयार कर सके।
5. सामुदायिक भावना का विकास हो सके।
6. राष्ट्रीय कार्यक्रमों, योजनाओं में सहभागिता का विकास हो सके।
7. परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सुधार, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकें तथा इन सबके प्रति उनमें जागरूकता आ सके।

परिसीमित उद्देश्य

इस शोध कार्य के निहित उद्देश्य निम्नवत है –

1. बुन्देलखण्ड के विकास में प्रौढ़ शिक्षा का आकलन (मूल्यांकन)।
2. प्रौढ़, शिक्षा से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को जांचना।
3. प्रौढ़ शिक्षा पर होने वाले अपव्यय के कारण एवं उनके निवारण की विधि प्रस्तुत करना।
4. प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार एवं कार्य प्रणाली पर विचार प्रस्तुत करना।
5. सरकार द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य को समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा समयावधि में पूर्ण करने सम्बन्धी सुझाव देना।

शोध अध्ययन हेतु परिकल्पना

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रौढ़ शिक्षा के मूल्यांकन के पूर्व यह माना गया कि ग्रामों में प्रौढ़ शिक्षा से वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक चेतना जागृत होती है। स्त्री एवं पुरूष दोनों में ही प्रौढ़ शिक्षा से समान रूप से जागरूकता आती है। ये दोनों तथ्य, अध्ययन के विश्लेषण से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत हो सकते हैं।

ये दोनों तथ्य, सत्य के रूप में जांचने के पहले ही माने जा सकते हैं। इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण में इन परिकल्पनाओं को स्थान दिया गया है। इस प्रकार शोधकर्ता द्वारा दो परिकल्पनायें ली गई हैं। इन परिकल्पनाओं में

1. स्पष्टता
2. अनुभव सिद्धता
3. विशिष्टता

तीनों गुण हैं।

परिकल्पना का निर्धारण

इस सामाजिक सर्वेक्षण में निम्नलिखित प्ररिकल्पनाएं निर्धारित की गई हैं :

1. प्रौढ़ शिक्षा से वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक चेतना में वृद्धि होती है।
2. महिलाओं तथा पुरूषों में जागरूकता, शिक्षा के माध्यम से होती है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन के न्यादर्श चयन विधि में बुन्देलखण्ड प्रभाग के पाचों जनपदों का प्रतिनिधित्व किया गया है। इस प्रभाग में प्रौढ़, शिक्षा केन्द्रों की संख्या 2100 है। प्रत्येक जनपद से प्रत्येक पन्द्रहवां केन्द्र (सूची के अनुसार) लिया गया है। इस प्रकार (2100÷15) न्यादर्श में = 140 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र सम्मिलित हैं।

न्यादर्श चयन

बुंदेलखण्ड प्रभाग में पांच जनपद जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर हैं। प्रत्येक जनपद में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं जिनकी संख्या निम्नवत हैं :

तालिका – 1.1

बुन्देलखण्ड प्रभाग में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संख्या

क्र0 सं0	जनपद	संख्या
1.	जालौन	600
2.	झांसी	300
3.	बांदा	300
4.	ललितपुर	300
5.	हमीरपुर	600
योग		2100

तीन जनपदों झांसी, बांदा और ललितपुर में प्रत्येक के 300 केन्द्रों में से 20–20 केन्द्र तथा दो जनपदों जालौन और हमीरपुर के 600–600 केन्द्रों में से 40–40 केन्द्रों को न्यादर्श में सम्मिलित किया गया है।

तालिका – 1.2

जनपद अनुसार न्यादर्श केन्द्र संख्या

क्र0 सं0	जनपद	न्यादर्श प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
1.	जालौन	40
2.	झांसी	20
3.	बंदा	20
4.	ललितपुर	20
5.	हमीरपुर	40
योग		140

बुंदेलखण्ड प्रभाग के उपरोक्त पांचों जनपदों के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को न्यादर्श में सर्वेक्षण हेतु चयनित किया गया है।

प्रत्येक केन्द्र में पूर्व शिक्षा प्राप्त किये हुये व्यक्तियों में दस व्यक्तियों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया। प्रत्येक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र से दस–दस व्यक्तियों से शोध सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से सूचनायें एकत्र करने का कार्यक्रम बनाया गया। इस प्रकार पांच जनपदों से प्राप्त कुल प्रदर्श, 140 x10 = 1400 व्यक्तियों का प्राप्त हुआ।

इस प्रदर्श में सजातीयता है और प्रतिनिधयकता को अभीष्ट मानकर चयन किया गया है और पर्याप्त परिशुद्धता का ध्यान रखा गया है।

क्र. सं.	जिला का नाम	परियोजना अनुसार	केन्द्रों की संख्या	प्रत्येक न्यादर्श नम्बर के	1987–88 से 1989–90 तक प्रत्येक केन्द्र से 10 प्रत्येक वर्ष
1.	जालौन (उरई)	(क) कालपी (डकोर) (ख) कोच	300 300	20 20	200 200
2.	झांसी	(क) गुरूसरायं (ख) –	300 300	20	200
3.	बांदा	(क) कवी, मानिकपुर, (ख)	300	20	200

4.	ललितपुर	(क) तालवेहट (ख)	300	20	200
5.	हमीरपुर	(क) सुमेरपुर (ख) कुरारा (राठ)	300 300	20 20	200 200
	योग	नौ परियोजनायें	2100	140	1400

प्रौढ़ शिक्षा मूल्यांकन अनुसूची

प्रौढ़ शिक्षा से ग्रामीण जनता को प्रत्येक क्षेत्र में लाभ होने की संकल्पना की गई है। यह भी माना गया है कि ग्रामीण अशिक्षित व्यक्तियों को प्रौढ़ शिक्षा से लाभ हुआ है किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सका कि ग्रामीण अशिक्षित व्यक्तियों को, जिन्होंने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त की है, ने व्यैक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं अन्य क्षेत्रों में किस सीमा तक, जागरूकता अर्जित की है। इन क्षेत्रों में जागरूकता का ज्ञान प्राप्त करने के लिये शोधार्थी द्वारा एक प्रौढ़ शिक्षा मूल्यांकन अनुसूची निर्मित की गई है। इस मूल्यांकन अनुसूची को निर्मित करने में प्रमुख समाज शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों से प्रारूप बनाने के पूर्व मन्त्रणा ली गई है। उनके व्यावहारिक पक्ष एवं सुझाावों को ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक भाग के निर्मित प्रश्नों (पदों) पर विचार विनमय किया गया है। इसके पश्चात् पदों को रखने का कार्य किया गया है। पदों में प्रौढ़ शिक्षा के विषय में जानकारी हेतु पूर्व एवं वर्तमान शिक्षा स्तर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं अन्य के विषय में जागरूकता, आकलन करने का प्रयास किया गया है। इसके लिये, पदों को अ, ब, स, द और य खण्डों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र के पदों को 12, 12 पदों में विभाजित करके प्रश्न निर्मित किये गये हैं। इन प्रश्नों को अंतिम रूप देने में पुनः प्रमुख समाज शास्त्रियों, शिक्षाविद एवं मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लिया गया है। उनके परामर्श से इन पांच क्षेत्रों के पूर्व एवं वर्तमान जागरूकता के विश्लेषण को सरल बनाने के लिये उत्तर पत्र निर्मित किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा–मूल्यांकन अनुसूची के निर्मित करने में निर्धारित बिन्दुओं पर सर्तकता से कार्य किया गया है ताकि इसमें विश्वसनीयता सन्निहित रहे। इस अनुसूची में वैद्यता से यह पता चला है कि उद्देश्य पूरे होते पाये गये और उनके निष्कर्ष भी सही दिशा में संकेत देने लगे हैं।

अनुदेशक सूची

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक प्रमुख अधिकारी होता है जिसकी देख रेख में प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम चलता है। इन अनुदेशकों को प्रौढ़ शिक्षा के चलने में अनेक कठिनाइयां अनुभूत होती हैं। इस योजना को व्यावहारिकता प्रदान करने के लिये उनके सुझाव लेना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखते हुये, अनुदेशक सूची का निर्माण किया गया है। इसके निर्मित करने में विशिष्ट समाज शास्त्रियों एवं शिक्षा विदों से परामर्श लिया गया है। उनके सुझावों के आधार पर अनुदेशक अनुसूची निर्मित की गई है। सूची निर्मित करके इसके प्रारूप को पुनः उन्हें दिखाया गया है और तदनुकूल सुधार किया गया है। इस अनुदेशक सूची में 14 बिन्दु हैं। इसको प्रत्येक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के अनुदेशक से भराया गया है। उनकी प्रतिक्रिया, इस अनुदेशक अनुसूची के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है।

इस अनुदेशक अनुसूची में विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही पर्याप्त मात्रा में पायी गई क्योंकि प्रश्नावली, उन उद्देश्यों को पूरा करती है जिसके लिये इसका प्रयोग हुआ है। निष्कर्ष के संकेत भी उपयोगी एवं विश्वसनीय रहे।

गांव प्रधान अनुसूची

इस अनुसूची का उद्देश्य गांव के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के विषय में, अन्य जानकारियां लेना था। इस अनुसूची का निर्माण विशिष्ट समाज शास्त्रियों के परामर्श से किया गया। अनुसूची में 11 बिन्दु हैं इन बिन्दुओं के माध्यम से गांव के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के विषय में ग्राम प्रधान से सूचनायें प्राप्त करना अपेक्षित था। गांव प्रधान या गांव के प्रमुख व्यक्ति के द्वारा भरने से, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की कार्यप्रणाली आदि का ज्ञान सही–सही प्राप्त होने की पूर्ण आशा की गई है। अतः इस अनुसूची के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की कार्य प्रणाली ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। उनके आधार पर प्रौढ़ शिक्षण में सुधार के लिये मार्गदर्शन संभव हुआ है। गांव प्रमुख अनुसूची में विश्वसनीयता एवं वैधता प्रचुर मात्रा में देखने को मिली क्योंकि जिस समूह में अनुसूची प्रशासित की गई उनके उत्तर उप उद्देश्यों को पूरा करते पाये गये, जिनके लिये वे निर्मित हुए थे। इससे जो भी निष्कर्ष प्राप्त हुये वे उपयोगी हैं एवं उन पर निर्भर किया जा सकता है।

दत्त विश्लेषण एवं निर्वचन

शोधकर्ता ने स्वयं रचित प्रौढ़ शिक्षा मूल्यांकन से सम्बन्धित, अनुसूची अनुदेशक, अनुसूची और ग्राम प्रमुख पत्री द्वारा प्राप्त दत्तों का विश्लेषण किया है। इस शोध अध्ययन के निर्वचन को सम्मिलित करते हुये, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में हुये अन्य शोध सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों के परिणामों एवं निष्कर्षो को ध्यान में रखकर विवेचन किया गया है। विश्लेषण, निर्वचन और विवेचन में प्रतिशत तुलना विधि का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया गया है। विश्लेषण, निर्वचन और विवेचन में विश्वसनीयता एवं वैद्यता

को उच्च स्तरीय बनाये रखने का प्रयास किया गया है। सारणियों को इस प्रकार अंकित किया गया है, कि वे महत्वपूर्ण सूचनायुक्त हों, जिनके आधार पर प्रौढ़ शिक्षा के अग्रिम कार्यक्रम को सुदृढ़ करने में सभी स्तर पर वांछित बल दिया जा सके। शोध अध्ययन में प्रदर्श से प्राप्त दत्तों का विश्लेषण लिंगभेद, शिक्षा स्तर, आयु वर्ग, व्यवसाय (कार्य) एवं वार्षिक आय के अनुसार किया गया है। प्रश्नावली एवं पत्री से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन को वैयक्तिक, सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक एवं अन्य प्रकार के ज्ञान, जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है।

कोई भी देश और समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसके नागरिक शिक्षित न हों। शिक्षा के सार्वभौमीकरण की बात को हमारे संविधान ने भी स्वीकारा है। यद्यपि शिक्षा के प्रचार प्रसार की दिशा में बहुत कार्य हुआ है, शैक्षिक सुविधाओं में क्रमिक बढ़ोत्तरी भी हुई है, फिर भी शतप्रतिशत शिक्षा के लक्ष्य से हम अभी काफी दूर हैं।

इस शोध अध्ययन का केन्द्र बिन्दु यह ज्ञात करना था कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों से सम्बद्ध व्यक्ति इस कार्यक्रम से कितना लाभान्वित हो रहे हैं। शोध अध्ययन के अंतर्गत पांच खण्ड व्यक्तिगत (शैक्षिक प्रगति, और उसका दैनिक जीवन में उपयोग), सामाजिक (सामाजिक जागरूकता, सामाजिक उन्नयन, सामाजिक सदभाव आदि), आर्थिक (परम्परागत व्यवसायों से हटकर आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु नवीन उद्योग धन्धों आदि सम्बन्धी दृष्टिकोण, राजनैतिक (राजनैतिक जागरूकता, प्रक्रिया, आदि) और अन्य (इसके अन्तर्गत विविध दृष्टिकोणों स्वास्थ्य, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार आदि) में प्रौढ़ शिक्षा के योगदान का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया। अध्ययन बुन्देलखण्ड प्रभाग के जनपदानुसार जालौन, झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, में स्थित 140 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के 1400 प्रतिभागियों पर किया गया। क्रमानुसार विवेचन निम्नलिखित है।

वैयक्तिक

सर्वेक्षण प्रपत्र के प्रत्येक खण्ड द्वारा 12–12 विभिन्न दिशाओं में जिज्ञासायें की गई। वैयक्तिक खण्ड में शिक्षा में हुये लाभों, धन के लेन–देन की गणना और मुद्रा परिचय, अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति प्रौढ़ों का दृष्टिकोण, सामान क्रय में पारिवारिक सदस्यों में से किसी की सलाह लेने, प्रौढ़ों के स्वास्थ्य सम्बन्धी दृष्टिकोण की जिज्ञासा, नवीन कृषि उपकरणों की जानकारी और उपयोग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक आयोजनों के प्रति प्रौढ़ों के मत, प्रौढ़ों द्वारा प्रौद्योगिक संचार माध्यमों की जानकारी और उनके उपयोग का आंकलन, डाक–तार विभाग सम्बन्धी ज्ञान, घरेलू समस्याओं के निदान के लिये प्रौढ़ों द्वारा अपनाये जाने वाले उपायों की जानकारी और प्रौढ़ों की विवाह प्रथाओं के प्रति धारणा के प्रति प्रौढ़ों का दृष्टिकोण ज्ञात करना था।

सर्वेक्षण प्रपत्र से वैयक्तिक विकास के संबंध में निम्नलिखित बातें उभर कर आई है :

1. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र प्रौढ़ों को शिक्षित अथवा व्यावहारिक जानकारी कराने में महत्वपूर्ण योगदान कर

रहे हैं। लगभग 85 प्रतिशत प्रौढ़ प्रतिभागी कुछ पढ़ सकने और संख्या ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो सके हैं।

2. धन के विनिमय में भी प्रौढ़ों के संज्ञान (दक्षता) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
3. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र प्रौढ़ों में शिक्षा के महत्व के भाव विकसित करने में सक्षम रहे हैं। आज के प्रौढ़ बालकों के लिये शिक्षा की आवश्यकता को महत्वपूर्ण समझने लगे हैं। महिलाओं का दृष्टिकोण इस विषय में अधिक सकारात्मक है।
4. जहां तक घरेलू सामान अथवा कृषि उपकरणों का क्रय या पारिवारिक समस्या के निदान के लिये विचार विनिमय की बात है, अधिकांश प्रौढ़ पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेने को वरीयता देते हैं।
5. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र प्रौढ़ों को स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक करने में योगदान करते भी प्रतीत होते हैं। महिलायें अपेक्षाकृत अधिक संख्या में जागरूक हुई हैं। वे निदान हेतु चिकित्सक से रोग के कारणों और उपचार में परामर्श लेती हैं।
6. कृषि उपकरणों के क्रय और उपयोगिता में कृषि विशेषज्ञों का उतना सहयोग और परामर्श नहीं लिया जा रहा है जितना अपेक्षित है। सम्भवतः ऐसा कृषि विशेषज्ञों की सहज उपलब्धता न होने के कारण है। कृषि उपकरणों की खरीद में प्रौढ़ उपयोगिता और दूसरों के अनुकरण को स्थान देते हैं।
7. सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक आयोजनों के प्रति प्रौढ़ों का दृष्टिकोण नकारात्मक रहा है। वे इन आयोजनों को "अपव्यय" की संज्ञा देते हैं। इस दृष्टिकोण को बदलने में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को अभी अपनी योगदान विधि में परिवर्तन करना अपेक्षित है।
8. प्रौद्योगिक संचार माध्यमों की जानकारी और उपयोग को आज प्रौढ कहीं ज्यादा समझते हैं। संचार माध्यम उन्हें परिवार नियोजन और कल्याण के बारे में भलीभांति समझते प्रतीत हो रहे हैं। कृषि उपयोगी मौसम की जानकारी में भी उनकी रूचि है।
9. इसी प्रकार प्रौढ़ डाक–तार विभाग की कार्यप्रणाली से भी परिचित हो रहे हैं। फिर भी वे पत्राचार को भलीभांति समझने में दूसरों का सहारा लेते हैं। पंजीकृत पत्रों को स्वीकार करने में प्रौढ़ पुरूषों के अपने पूर्वाग्रह हैं।
10. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र द्वारा विधवा विवाह की सकारात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि करना एक सुखद पहलू है।
11. विवाह सम्बन्धी नियमों की जानकारी उतनी संख्या में नहीं हो पाई है जितना की अपेक्षित है। बाल विवाह बन्धन आज भी विभिन्नता पर निर्भर माना जाता है।
12. मताधिकार, न्यूनतम मजदूरी नियमों के ज्ञान में, प्रौढ़ों में, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दहेज सम्बन्धी नियमों की जानकारी कम ही है।

सामाजिक

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में आने वाले प्रौढ़ों की सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन, परिष्कार और उन्नयन का अध्ययन करना सर्वेक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु है। उनका सामाजिक कार्यक्रमों के प्रति दृष्टिकोण विकास कार्यक्रमों में सहभागिता, सामाजिक पूर्वाग्रहों के प्रति बदलते दृष्टिकोण और सामाजिक आदान–प्रदान आदि सम्बन्धी पदो के माध्यम से एकत्र सामग्री का विश्लेषण, निर्वचन और विवेचन किया गया है।

सामाजिक भागीदारी के अंतर्गत प्रौढ़ों के सामाजिक मानसिकता, विकास योजनाओं सम्बन्धी दृष्टिकोण की जानकारी, ग्राम्य विकास गोष्ठियों में प्रौढ़ों की सहभागिता की जानकारी, समाज के दूसरे लोगों से सम्पर्क का संज्ञान, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों के प्रति प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में आने वाले प्रौढ़ों के दृष्टिकोण में आए परिवर्तन का आंकलन, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर शिक्षा प्राप्त करते हुये विभिन्न मान्यताओं के प्रति दृष्टिकोण में आए परिवर्तन और जागरूकता का मूल्यांकन, प्रौढ़ों में ग्राम संचालित सामूहिक विकास कार्यक्रमों सम्बन्धी दृष्टिकोण, आप किन लोगों के बीच उठते – बैठते हैं – इसकी जानकारी, कौन–कौन सी सामाजिक कुरीतियों को आप नापसन्द करते हैं, सामाजिक समारोहों और पूजा, स्थलों सम्बन्धी दृष्टिकोण का सर्वेक्षण, किसी अन्य जाति के लोगों पर संकट आने पर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में आने वाले प्रौढ़ों की प्रतिक्रिया, संयुक्त परिवार सम्बन्धी प्रौढ़ों के मत और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में अध्ययन हेतु आने वाले प्रौढ़ों में विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण में आये परिवर्तन का आकलन किया गया।

सर्वेक्षण अनुसूची द्वारा प्रौढ़ों के सामाजिक दृष्टिकोण में आये परिवर्तनों के सम्बन्ध में संक्षेप में कहा जा सकता है कि :–

1. ग्रामीण अंचलों के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के प्रौढ़ों में विकास कार्यक्रमों के प्रति चेतना जागृत हो रही है। वे अन्य विकास कार्यक्रमों के महत्व को केवल समझते ही नही वरन् प्रतिभाग भी करते हैं। ब्लाक स्तरीय विकास गोष्ठियों में अपना–अपना प्रतिभाग, विचार और सुझाव भी प्रस्तुत करते हैं। इस परिवर्तन का आधार मुख्य रूप से शिक्षित होने के अतिरिक्त एक सीमा तक अनुकरण भी है।
2. सामाजिक सम्बन्धों में उदारीकरण आया है। जातिगत पूर्वाग्रह समाप्त हो रहे हैं। छुआछूत में भी क्रमशः कम होने का संकेत स्पष्ट है। फिर भी वे वैवाहिक सम्बन्ध अपनी ही जाति अथवा उपजाति में करने को वरीयता देते हैं। सामाजिक समारोहों में प्रतिभागिता के प्रति उदार दृष्टिकोण है।
3. धार्मिक जंजीरे धीरे–धीरे टूट रही हैं। धार्मिक क्रियाकलापों और समारोहों को आज अधिक संख्या में प्रौढ़ आडम्बर मानते हैं।
4. प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से प्रौढ़ों के सीमित परिवार के पक्ष में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता

है। समान अधिकार और विकास संगठनों की उपयोगिता सम्बन्धी चेतना जागृत हुई है।

5. सामाजिक कुरीतियों और उनका प्रभाव सम्बन्धी चेतना भी प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से प्रौढ़ों की प्रतिक्रियाओं में परिलक्षित हुई है।
6. ये प्रौढ़ दूसरी जाति के लोगों को भी संकट में पाकर उनकी सहायता के प्रति पहले से अधिक अग्रसर होते हैं।
7. संयुक्त अथवा एकाकी परिवार में से किसका चयन अच्छा होगा, इस बारे में प्रौढ़ो ने कोई स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया है। फिर भी अधिकांश प्रौढ़ संयुक्तता को सुरक्षा का एक बड़ा प्रतीक मानते हैं।

आर्थिक

प्रौढ़ शिक्षा मूल्यांकन सर्वेक्षण अनुसूची का तीसरा भाग प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में अध्ययन के लिये आने वाले प्रौढ़ों के आर्थिक दृष्टिकोण, आय वृद्धि के स्रोतों की जानकारी आदि से सम्बन्धित था। इस भाग में भी आर्थिक पहलू सम्बन्धित विभिन्न बारह पद सम्मिलित किये गये। प्रौढ़ शिक्षा से उनके आर्थिक दृष्टिकोण की जानकारी और चेतना में आये परिवर्तन ही अध्ययन का मुख्य लक्ष्य था। पदवार प्रतिक्रियाओं का गणनात्मक और गुणात्मक विश्लेषणता और विवेचन किया गया।

आर्थिक पक्ष में प्रौढ़ों की अपनी आमदनी बढ़ाने की सोच, पारिवारिक वस्तुओं के सही रख रखाव, उपयोगी परन्तु सस्ती वस्तुओं का क्रय करना और जोखिम बीमा की जानकारी का आंकलन, आर्थिक आय वृद्धि के लिये विभिन्न व्यवसायों की जानकारी और पसन्द का विवरण, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर अध्ययन हेतु आने के पश्चात् प्रौढ़ों के आर्थिक दृष्टिकोण में आये परिवर्तन और जागरूकता का मूल्यांकन, मासिक अथवा वार्षिक आय में वृद्धि के लिये किये गये प्रयासों का आंकलन, अपने उत्पादनों के विक्रय माध्यम सम्बन्धी दृष्टिकोण को जानने का प्रयास, आप अपना समय किन कार्यो में व्यतीत करते हैं – यह जिज्ञासा, आय वृद्धि के प्रयासमाध्यम, पारिवारिक आय वृद्धि के उपाय, प्रौढ़ शिक्षा का प्रौढ़ों की आर्थिक दशा में सुधार के प्रति योगदान और "ऋण लेना उपयुक्त है अथवा नही", की जिज्ञासा आदि का विवेचन किया गया।

आर्थिक सर्वेक्षण से जो बिन्दु उभर कर आये उनके आधार पर संक्षेप में कहा जा सकता है कि :–

1. प्रौढ़ों में अपनी आर्थिक दशा सुधारने की चेतना उत्पन्न हो रही है, वे परम्परागत तरीकों की अपेक्षा आधुनिक, वैज्ञानिक तरीकों से कृषि आय में वृद्धि के लिये जागरूक हैं।
2. उन्हें पूर्व की अपेक्षा उन राजकीय विकास योजनाओं की अच्छी जानकारी है जो उनकी आय वृद्धि में सहायक हैं।
3. वे कृषि के अतिरिक्त अन्य हस्त कौशल के कार्यो में भी रूचि रखते हैं। पशु बीमा, फसल बीमा की भी जानकारी रखते हैं।

4. कृषि और हस्तकौशल कार्यो के साथ–साथ खाली समय में सेवा कार्य उनकी आय वृद्धि का एक साधन है। यद्यपि कम ही प्रौढ़ सेवा कार्य कर पाते हैं।
5. आय में आई क्रमिक वृद्धि और बदलाव को प्रौढ़ महसूस भी करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के प्राप्ति के साथ आर्थिक दृष्टिकोण में आये बदलाव और जागरूकता प्रौढ़ शिक्षा की उपादेयता के द्योतक है।
6. वे किसी क्षेत्र विशेष या स्थानीय बाजार की अपेक्षा दूर के शहरों में उत्पादनों को बेचने को वरीयता देते हैं, जहां उन्हें अधिक मूल्य मिल सके। इससे उनके आवागमन में वृद्धि हुई है।
7. आय वृद्धि के लिये एक बड़ी संख्या में प्रौढ़ कृषि के साथ अन्य स्रोतों (घरेलू कुटीर उद्योग, धंधों, मजदूरी, हस्तकौशल आदि) में संलग्न होते हैं।
8. वाणिज्य–व्यापार को अपनाने की क्षमता उनमें कम है। सम्भवतः इसका कारण आर्थिक रूकावटें, सीमित साधन और व्यापार कला की, उनमें कमी का होना है।
9. व्यावसायिक केन्द्रों के सम्भावित लाभों के प्रति प्रौढ़ आज अधिक जागरूक हैं। उनमें इन केन्द्रों से नये–नये कार्यों को सीखने और निपुणता प्राप्त करने की जागरूकता उत्पन्न हुई है।
10. प्रौढ़ों की मानसिकता का भी क्रमिक उदारीकरण हुआ है। वे स्वयं हित के साथ–साथ क्षेत्र के हित की बात सोचने लगे हैं। अंचल–विकास में उनके स्वयं अपने हित निहित है – ऐसी चेतना का विकास एक सुखद पहलू है।
11. वे आज विकास में, बैंकों और सहकारी और ऋण समितियों की उपयोगिता को समझने लगे हैं और प्रयास करते हैं कि उनके क्षेत्र में इनकी अधिक से अधिक शाखायें खुले।
12. विलासिता और अनुत्पादक कार्यो के लिये ऋण लेने को वे अच्छा नहीं समझते। उत्पादक और आय वृद्धि में सहायक साधनों के लिये ऋण लेने को बुरा भी नहीं मानते।

राजनैतिक

एक लम्बे समय तक विदेशी दासता ने हमारी राजनैतिक आकांक्षाओं को जकड़े रखा था। निरक्षरता भी राजनैतिक अधिकारों की वंचना का एक कारक रही है। शिक्षा राजनैतिक चेतना का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण कारक है, इस तत्व को नकारा नहीं जा सकता। अशिक्षित व्यक्ति तो समाज और राष्ट्र द्वारा प्रदत्त अधिकारों, राजनैतिक प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ ही रहता है। उसका समाज और राष्ट्र के प्रति बहुत सीमित ही योगदान रहता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में अशिक्षित व्यक्तियों का एक बड़ा भाग था। देशवासियों में सामाजिक और राजनैतिक चेतना का विकास हो, सामाजिक, राजनैतिक प्रक्रियाओं में वे प्रतिभागी बनें, उनमें राष्ट्रीयता और राष्ट्र सम्मान के भाव उत्पन्न हो, इस सब के लिये शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर शैक्षिक सुविधाओं का विकास किया गया है।

जीविकोपार्जन में लगे प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिये प्रौढ़ शिक्षा का आरम्भ हुआ। बुन्देलखण्ड

मंडल में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में अध्ययन कर रहे प्रौढ़ों की राजनैतिक मानसिकता का मूल्यांकन सर्वेक्षण प्रपत्र के चौथे भाग के विभिन्न बारह पदों पर प्रौढ़ो की प्रतिक्रियाओं को संग्रह किया गया। इसके तहत उनकी राजनैतिक चेतना और जागरूकता को जानने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही, क्या प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के प्रौढ़ों को स्वतंत्रता की सही–सही अवधारणा है, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रमुख राजनीतिज्ञों और स्थानों के नाम का आंकलन, चुनाव प्रक्रिया में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के प्रौढ़ों के मतदान के आधार की जानकारी, ग्राम और ब्लाक के प्रमुख पद नामों से परिचय, उनकी निर्वाचन प्रक्रिया और मतदान के बारे में जानकारी से सम्बन्धित आंकड़े, प्रौढ़ शिक्षा केंन्द्रों पर अध्ययन करने वाले प्रौढ़ों की गांवों की विकास योजना में रूचि, सहभागिता और योगदान सम्बन्धी एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, गावों के सही विकास में प्रौढ़ों द्वारा अपनाये जाने वाले तरीकों की जानकारी, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के प्रौढ़ों द्वारा शासन पर, अपने–अपने अचलों के ग्रामों के विकास के लिये, दबाव बढ़ाने के लिये अपनाये जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी, ग्रामों से सम्बद्ध सरकारी और सार्वजनिक संस्थाओं का ज्ञान उनके कार्यक्रमों और कार्य प्रणाली की समुचित जानकारी का आंकलन, ग्राम पंचायतों के कार्यक्रमों और कार्य प्रणाली सम्बन्धी जानकारी, ग्राम प्रधान की नियुक्ति सम्बन्धी जानकारी, विभिन्न राजनैतिक, प्रशासनिक प्रमुखों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद–जिलाधीश के कार्यो से सम्बन्धित जानकारी और प्रौढ़ शिक्षा केन्द पर शिक्षा प्राप्तकरने आने वाले प्रौढ़ों को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के कार्यो की जानकारी है अथवा नहीं का आंकलन किया गया।

सर्वेक्षण प्रपत्र के राजनैतिक खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर प्राप्त दत्तों के विश्लेषण और विवेचन से निम्नलिखित प्रमुख बिन्दु उभरते हैं–

1. राजनैतिक क्षेत्र में अभी भी लगभग आधी संख्या में प्रौढ़ प्रतिभागी स्वतंत्रता को उस के सही अर्थ में नहीं लेते हैं। ग्रामीण अंचलों के वे प्रौढ़ जो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में आते हैं, शासकीय नियमों के पालन को ही स्वतंत्रता समझते हैं, स्वतंत्रता को सही संदर्भ में समझने की दिशा में जागृति के लिये सतत प्रयास अपेक्षित है।
2. राजनैतिक क्षेत्र की मुख्य–मुख्य सामान्य जानकारी भी प्रौढ़ों को लगभग इसी अनुपात में हैं।
3. यद्यपि एक अच्छी संख्या में प्रौढ़ों को मतदान के महत्व का ज्ञान है, फिर भी मतदान करने में जाति और बिरादरी अथवा ग्राम प्रधानों की राय को वरीयता दी जाती है।
4. लगभग एक चौथाई प्रौढ़ मतदान प्रक्रिया को निरर्थक मानते हैं, जो प्रजातंत्र की परिकल्पना के विपरीत है, तथा राजनैतिज्ञों के लिये मतदान की अनियमितताओं के प्रति सचेष्ट होने की ओर संकेत करता है।
5. एक बड़ी संख्या में प्रौढ़ ग्राम विकास के प्रति रूचि और सही दृष्टिकोण रखते हैं, उनमें इतनी जागरूकता है कि वे ग्राम विकास से जुड़े पदाधिकारियों को विकास के उपायों के बारे में इंगित कर सकें, और प्रशासन पर उचित तरीकों से प्रभाव डाल सकें। वे ग्राम विकास के लिये आवंटित

धनराशि के सही और समुचित उपयोग में विश्वास रखते हैं।

6. ग्रामीण विकास में कार्यरत सरकारी संस्थानों की उन्हें अच्छी जानकारी है। कृषि और पशु चिकित्सा से जुड़े केन्द्रों की उन्हें समुचित जानकारी है।
7. ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र और दायित्व सम्बन्धी चेतना का भी उनमें अच्छा विकास हुआ है, फिर भी लगभग एक चौथाई प्रौढ़ों को ग्राम पंचायत की सही कल्पना नहीं है।
8. एक बड़ी संख्या में प्रौढ़, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को सही अर्थो में लेते हैं। फिर भी लगभग एक तिहाई प्रौढ़ों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की सही परिकल्पना की गहन चेतना जागृति किये जाने के संकेत उभरते हैं।

भावी शोध अध्ययनों हेतु सुझाव

शोध अध्ययन एक विधा है, जिसके माध्यम से कार्यक्रमों के सुधार और भविष्य के कार्यक्रमों के विस्तार में सहायता मिलती है। अध्ययन हेतु कुछ बिन्दु निम्न प्रकार के हैं–

1. कहा जाता है कि शिक्षित परिवार में जन्म दर कम होती है। युनाईटेड नेशन्स पापुलेशन फण्ड, इस दिशा में, केरल एवं हरियाणा में परियोजना चला रहा है। इस परियोजना में यह अध्ययन भी किया जा सकता है कि निरक्षर ग्रामीण जनता के साक्षर बनने पर, शिशु जन्म दर की स्थिति क्या हुई।
2. **प्रौढ़ अधिनियम** : इसके अन्तर्गत अधिगम व्यूह रचना उत्प्रेरणा, प्रौढ़ कथाओं का संगठन एवं संचालन आदि पक्षों पर कार्य किया जा सकता है।
3. **प्रौढ़ महिला शिक्षा केन्द्रों की समस्यायें** : हमें महिला साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाना है तो महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर अध्ययन करना तथा उन समस्याओं को हल करने के लिये आवश्यक उपाय ढूढ़ना होगा।
4. **अभिवृत्तियों का अध्ययन** : प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में जो व्यक्ति लाभान्वित हुये हैं तथा जो लाभान्वित नही हुये हैं उनकी अभिवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन संभवतः हमें उस तत्व की ओर इंगित कर सके जिसका समावेश प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को अधिक सक्षम बनाने में हमारी सहायता करें।
5. **प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अवरोध तत्व** : प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के मार्ग में कई अवरोधी तत्व हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, स्थानीय राजनीति प्रेरित निहित स्वार्थो की टकराहट आदि। इन अवरोधों का निराकरण कठिन है। अतः इस दृष्टि से भी अध्ययन किया जाना चाहिये।

संदर्भ –

1. ब्राइसन, एल.एल. एडल्ट एजूकेशन, न्यूयार्क, अमेरिकन बुक, 1939, पृ0–18.
2. ब्रैकफोर्ड, एल पी, एडल्ट एजूकेशन, न्यूयार्क, रसेल सेज फाउन्डेशन 1949, पु0–4.
3. लोवी, लुई, "एडल्अ एजूकेशन एण्ड ग्रुप वर्क" न्यूयार्क, विलियम मारर एण्ड कम्पनी, 1955 पृष्ठ संख्या 22
4. सैय्यदन, के. जी. "एड्रेस टू फिफ्थ इन्डिया एडल्ट एजूकेशन कान्फ्रेन्स" द इन्डियन जनरल आफ एडल्ट एजूकेशन, नयी दिल्ली, वा. 9, नं0 1, जनवरी 1948
5. माथुर एस.एस. "ए सोशल एप्रोच टू इन्डियन एजूकेशन" (चौथा सं.) आगरा विनोद पुस्तक मन्दिर, 1976 पृष्ठ – 281
6. देवी. एस. "एडल्ट एजूकेशन प्लान्स एण्ड एक्शन स्टेट जीस" डेवलपमेन्ट आफ एजूकेशन, रीजनल कालेज आफ एजूकेशन, भुवनेश्वर 1979 पृ. 27
7. गिरी वी. वी. रूरल फंक्शनल लिटेसी प्रोग्राम सेन्ट्रल सेक्टर मयूरगंज, डिस्टिक्ट एडल्ट एजूकेशन आर्गेनाइजेशन 1980 पृ0 142
8. मोहन्ती, ज. ए. स्टडी आफ द इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन प्राइमरी एजूकेशन इन इण्डिया विथ स्पेशल रिफरेन्स टू ओरिसा पी.एच.डी. थीसिस 1979 पृ0 267
9. देवदास, आर. "विथर द एन. ए. ई. पी." इन्डियन जरनल आफ एडल्ट एजूकेशन, न्यू दिल्ली वो. 40, नम्बर 10–11, अक्तूबर, नवम्बर 1979 पृ. 22

○○○○○

मनुष्य तब तक शक्तिशाली है जब तक वह किसी सशक्त योजना अथवा विचार का प्रतिनिधित्व करता है, और जब वह इसका विरोध करता है तो वह निर्बल हो जाता है।

सिगमंड फ्रायड

ps Oct-Dec'13-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 12/17/2013 12:5 PM Page 42

हमारे लेखक

चित्ररेखा
जिला संसाधन इकाई
(डी.आर.यू. विभाग)
मण्डलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
धुम्मनहेड़ा
राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद्
नई दिल्ली

राजमती वर्मा
ग्राम व पोस्ट – फरसाटार,
(बित्थरा रोड)
जिला–बलिया, (उत्तर प्रदेश)
पिन– 221715

रीना चौरसिया
शोध छात्रा
प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं प्रसार विभाग,
हे0 न0 ब0 गढ़वाल केन्द्रीय
विश्वविद्यालय,
श्रीनगर (गढ़वाल)

एस. एस. रावत
आचार्य,
प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं प्रसार विभाग,
हे0 न0 ब0 गढ़वाल केन्द्रीय
विश्वविद्यालय,
श्रीनगर (गढ़वाल)

इन्दिरा श्रीवास्तव
एसोसियेट्स प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग
ईश्वर शरण डिग्री कालेज
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

ps Oct-Dec'13-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 12/17/2013 12:5 PM Page 43

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

अध्यक्ष
प्रो. भवानीशंकर गर्ग

उपाध्यक्ष
श्री सुधीर चटर्जी
श्री ए. एच. खान
डा. एल. राजा
डा. एम. एस. राणावत
सुश्री निशात फारूख

महासचिव
श्री के. सी. चौधरी

कोषाध्यक्ष
डा. मदन सिंह

संयुक्त सचिव

सह–सचिव
श्री एस. सी. खण्डेलवाल
डा. पी. ए. रेड्डी
डा. ओ.पी.एम. त्रिपाठी
श्रीमती इन्द्रा पुरोहित

सदस्य
श्री दुर्लभ चेतिया
श्री मृणाल पंत
डा. वी. रेघु
डा. एस. एल. शर्मा
प्रो. के. आर. सुशीले गौडा
श्रीमती राजश्री बिस्वास
प्रो. सरोज गर्ग
सुश्री उषा राय

सहयोजित सदस्य
श्री एच. सी. पारीख
प्रो. एस. वाई शाह
श्री रामेश्वर नीखरा
डा. डी. उमा देवी
श्री हरीश एस
डा. निर्मला नुवाल

ps Oct-Dec'13-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 12/17/2013 12:54 PM Page 44

प्रौढ़ शिक्षा अक्तूबर-दिसंबर 2013, आर.एन.आई. 4551/57

किसी भी राष्ट्र की जनता जितनी अधिक विचारवान और कर्मशील होगी, वहां का शासन उतना ही बेहतर होगा। वस्तुतः जनता की प्रकृति और अंतर्बाह्य स्तर शासन का स्वरूप और स्वभाव तय करता है।

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के लिए डा. मदन सिंह द्वारा 17–बी आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा मैसर्स– ग्राफिक वर्ल्ड, 1686, कूचा दखिनी राय, दरियागंज, नई दिल्ली–2 से मुद्रित।

प्रधान सम्पादकः प्रो. भवानीशंकर गर्ग **सम्पादकः** डा. मदन सिंह

ps Oct-Dec'13-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 12/17/2013 12:51 PM Page 45

वर्ष 57 अंक 7

ISSN 2231-2439
एक प्रति 10 रूपये
अक्तूबर-दिसंबर 2013

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

ps Oct-Dec'13-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 12/17/2013 12:5 PM Page 46

ps Oct-Dec'13-Final_feb'11 pror shiksha.qxd 12/17/2013 12:5 PM Page 47